



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38।
No. 38।नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2006/फाल्गुन 26, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2006/PHALGUNA 26, 1927

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2006

सं. एल-7/68(84)/2006-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के नाम से ज्ञात ग्रिड संहिता विनिर्दिष्ट करता है, जो 1-4-2006 से प्रवृत्त होगी :—

अध्याय 1

साधारण

1.1. प्रस्तावना

भारतीय ऊर्जा प्रणाली अनेक अभिकरणों का एक समूह है। भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (ई सी जी) ऊर्जा प्रणाली की योजना, विकास, रख-रखाव तथा प्रचालन करने के लिए अधिक दक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी तथा सुनिश्चित रीति से विद्युत के उत्पादन तथा प्रदाय में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाते हुए प्रणाली में विभिन्न अभिकरणों तथा भागीदारों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा मानकों को अधिकृत करती है।

1.2 उद्देश्य

आई ई जी सी तकनीकी नियमों, अन्तर्राजिक पारेषण प्रणाली से जुड़े/या उसका उपयोग करने वाली सभी उपयोगिताओं को एक सूत्र में सम्मिलित करती है और निम्नलिखित उपबंध करती है—

- ऐसे रिहान्तों तथा प्रक्रियाओं का प्रलेखन जो अन्तर्राजिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) और प्रादेशिक तथा राज्य भार प्रेषण केंद्रों के विभिन्न उपमोक्ताओं के बीच संबंधों को परिमाणित करते हैं।

(1)

- मितव्ययी तथा विश्वसनीय क्षेत्रीय ग्रिड का प्रचालन, अनुरक्षण, विकास और योजना का सरलीकरण करना।
- आईएसटीएस के सभी उपभोक्ताओं को लागू आईएसटीएस के प्रचालन के सामान्य आधार को परिभाषित करते हुए विद्युत के फायदाप्रद व्यापार का सरलीकरण करता।

1.3 विस्तार

- (i) आईएसटीएस से जुड़े तथा उपयोग करने वाले सभी पक्षकारों से आई ई जी सी में परिभाषित सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं, जहाँ तक वे उस पक्षकार को लागू होते हैं, का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
- (ii) आईईजीसी के प्रयोजन के लिए, दामोदर घाटी निगम को (डीवीसी) इस बात को ध्यान में रखते हुए एसटीयू/एसईबी के समान समझा जाएगा कि डीवीसी एसईबी के समान शीर्षस्थ एकीकृत उपयोगिता है और इसका सुस्थापित आधिपत्य क्षेत्र में स्वयं का उत्पादन, परेषण तथा वितरण है।
- (iii) आईईजीसी के प्रयोजन के लिए, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) के उत्पादन केन्द्रों को, अन्तर्राजिक उत्पादन केन्द्रों के रूप में समझा जाएगा किन्तु उनकी परेषण प्रणाली आईएसटीएस का भाग रूप होगी। यह इसलिए है कि उत्तरी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र के कुछ ही राज्यों की बीबीएमबी/एसएसएनएनएल में हिस्सेदारी है और उनकी उत्पादन यूनिटों को एक विशेष रीति (सिंचाई अपेक्षाओं के समन्वयन में) में अनुसूचित और प्रेषण किया जाना होता है। बीबीएमबी/एसएसएनएनएल उत्पादन के अनुसूचितण्ठन तथा प्रेषण की निरन्तर जिम्मेदारी बीबीएमबी/एसएसएनएनएल इस उपबंध के साथ होगी कि अपने-अपने प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा फायदाग्राहियों के राथ यह सम्बन्ध रूप से समन्वय करेगा।

1.4 भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता की संरचना

इस आई ई जी सी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(i) विभिन्न संगठनों की भूमिका तथा उनकी संयोजकता

यह अध्याय ऐसे विभिन्न संगठनों के कृत्यों को परिभाषित करता है जो आईईजीसी से संबंधित हैं।

(ii) अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए योजना संहिता

यह अध्याय थौक ऊर्जा अन्तरण तथा सहबद्ध आईएसटीएस की योजना और विकास में अंगीकार किए जाने वाली नीतियों का उपबंध करता है। योजना संहिता भार पूर्णामास, उत्पादन उपलब्धता के लिए ऊर्जा प्रणाली के योजना अभिकरणों तथा विभिन्न भागीदारों के बीच अपेक्षित विस्तृत जानकारी आदान-प्रदान तथा भावी वर्षों का अध्ययन करने के लिए ऊर्जा प्रणाली योजना आदि को अधिकषित करती है। योजना संहिता, योजना प्रक्रिया के दौरान अंगीकार किए जाने वाले विभिन्न मानदंडों को अनुबद्ध करता है।

(iii) संयोजन शर्तें

यह अध्याय प्रणाली से संबंधित किसी भी अभिकरण या आईएसटीएस का संयोजन चाहने वाले द्वारा प्रणाली की एक स्पृहता तथा क्वालिटी को बनाए रखने के लिए अनुपालन किए जाने वाले न्यूनतम तकनीकी और डिजाइन मानदंडों को विनिर्दिष्ट करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

- (क) आईएसटीएस के संयोजन के लिए प्रक्रिया ।
- (ख) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची ।

(iv) क्षेत्रीय ग्रिड के लिए प्रचालन संहिता

यह अध्याय ग्रिड प्रचालन को दृश्य, सुरक्षित तथा विश्वस्त बनाए रखने के लिए प्रचालनात्मक युक्ति विहित करता है तथा इसमें निम्नलिखित खंड है :—

- (क) प्रचालन नीति ।
- (ख) प्रणाली सुरक्षा पहलू ।

यह अनुभाग उत्पादन कंपनियों और ग्रिड के सभी क्षेत्रीय संघटकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले साधारण सुरक्षा पहलुओं को विहित करता है।

(ग) प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए मांग प्राप्तकलन

यह खंड विभिन्न संघटकों द्वारा दिन/सप्ताह/मास/वर्ष आगे के लिए अपनी प्रणाली के लिए मांग द्वारा प्राप्तकलन विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन करता है जो प्रचालनात्मक/योजना के लिए उपयोग किया जाएगा।

(घ) मांग प्रबंध

यह खंड फ्रिक्वेंसी और कम उत्पादन के कृत्यों के रूप में प्रत्येक क्षेत्रीय संघटक द्वारा मांग नियंत्रण के लिए स्वीकार की जाने वाली पद्धति को विहित करता है।

(ङ) आवधिक रिपोर्टें

यह खंड फ्रिक्वेंसी प्रोफाइल, आदि जैसे ग्रिड के प्रचलनात्मक पैरामीटरों की रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न उपबंधों की व्यवस्था करता है।

(च) प्रचालनात्मक संपर्क

यह खंड सामान्य प्रचालन और/या ग्रिड के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अपेक्षा विहित करता है।

(छ) आउटेज योजना

यह खंड आउटेज योजना के लिए प्रक्रिया पिहित करता है।

(ज) बसूली प्रक्रिया

इस खंड में ब्लैक स्टार्ट तथा द्वीप समूह, आदि को पुनःआरंभ करने के लिए प्रमुख ग्रिड आधारों का अनुसरण करने के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रक्रियाएं अन्तर्विष्ट हैं।

(झ) घटना की जानकारी

यह खंड ऐसी प्रक्रियाओं को उपदर्शित करता है जिसके माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जाती है और जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है।

(व) अनुसूचीकरण तथा प्रेषण संहिता

यह खंड आई एस, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी) और राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस आर एल डी सी) के बीच जानकारी देने की पद्धति के दैनिक आधार पर अन्तर-राज्यिक उत्पादन केन्द्र (आई एस जी एस) जिसमें कंप्लीमेंटरी वाणिज्यिक तंत्र भी सम्मिलित है, के उत्पादन का अनुसूचीकरण तथा प्रेषण करने के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

(vi) अन्तर-प्रादेशिक आदान-प्रदान

यह खंड अन्तर-प्रादेशिक लिंकों के प्रचालन के लिए विशेष प्रतिफल से संबंधित है।

(vii) आई ई जी सी का प्रबंधन

यह अध्याय आई ई जी सी के पुनर्विलोकन/संशोधन तथा प्रबंधन के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

1.5. अनुपालन

यदि किसी संघटक या अभिकरण (आरपीसी और आरएलडीसी के सिवाय) द्वारा आई ई जी सी के किसी अनुबंधों का अनुपालन किया जाता है तो मामला किसी भी अभिकरण/आर एल डी सी द्वारा सदस्य सचिव आर पी सी को रिपोर्ट किया जाएगा। सदस्य सचिव, आर पी सी मामले को सत्यापित करेगा तथा अनुपालन को शीघ्र समाप्त करने के लिए व्यतिक्रमी अभिकरण के साथ मामले का विनिश्चय करेगा। यदि रादस्य सचिव, आर पी सी द्वारा मामले को नहीं निपटाया जाता है तो अनुपालन के मामले को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा। सम्यक् प्रक्रिया के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अनुपालन करने के लिए व्यतिक्रमी अभिकरण को आदेश देगा जिसके न करने पर समुचित कार्रवाई करेगा।

आर पी सी ऐसे अतिलंघनों का समुचित अभिलेख बनाए रखेगा।

आर एल डी सी या आर पी सी द्वारा आई ई जी सी के किसी भी अनुबंधों का अननुपालन किए जाने की दशा में, मामला केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा।

1.6. प्री गवर्नर कार्वाई

- (i) सभी थर्मल तथा हाइड्रो (शून्य पांडेज के सिवाय) उत्पादन केन्द्र आयोग द्वारा पृथक् की जाने वाली तारीख से अधिसूचित किए जाएंगे।
- (ii) उपरोक्त से कोई भी छूट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दी जाएगी जिसके लिए संबंधित संघटक/अभिकरण पहले याचिका फाइल करेगा।
- (iii) जब तक आयोग परिस्थिति की समीक्षा नहीं करता है तब तक गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल ऊर्जा संयंत्र और परमाणु ऊर्जा केन्द्र को धारा 4.8(ग), 4.8(घ), 5.2.(ड), 5.2(च), 5.2(छ) और 5.2(ज) से छूट दी जाएगी।

1.7 रिएक्टिव ऊर्जा एक्सचेंजों के लिए प्रभार/संदाय

रिएक्टिव ऊर्जा एक्सचेंजों के प्रभार/संदाय के लिए दर (खंड 6.6 में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार) 1-4-2006 से 5.0 पैसे/किलो वाट घंटे होगा और जब तक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पुनरीक्षित न किया जाए, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष 0.25 पैसे/कि.वा. घंटे पर वृद्धि की जाएगी।

1.8 छूट

आई ई जी सी के उपबंधों से कोई भी छूट, आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगी जिसके लिए अभिकरणों को पहले याचिका आयोग के समक्ष फाइल करनी होगी।

1.9 शब्दावली और परिभाषाएं

- (1) अधिनियम से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है।
- (2) प्राधिकरण से अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- (3) स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर (एवीआर) से उत्पादन टर्मिनलों पर मापित उत्पादन यूनिटों की वोल्टता का नियंत्रण करने के लिए निरंतर कार्य करने वाली स्वचालित उत्तेजन नियंत्रण प्रणाली अभिप्रेत है।
- (4) बी बी एम बी से भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है।
- (5) फायदाग्राही से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका आई एस जी एस में शेयर है।
- (6) लैंक रटार्ट प्रक्रिया से आंशिक या पूर्ण लैंक आउट से बसूली के लिए आवश्यक प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(7) थोक ऊर्जा पारेषण करार (बीपीटीए) से पारेषण सेवाओं के उपबंध के लिए पारेषण अनुज्ञापिकारी और दीर्घकालिक ग्राहक के बीच वाणिज्यिक करार अभिप्रेत है।

(8) वी आई एस से भारतीय मानक व्यूरो अभिप्रेत है।

(9) कैप्टिव उत्पादन संयंत्र (सी जी पी) से किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत शक्ति का उत्पादन करने हेतु स्थापित उत्पादन संयंत्र अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी या संगमों के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से विद्युत शक्ति का उत्पादन करने हेतु किसी सहकारी सोसाइटी या संगम द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र भी है।

(10) कैपेसिटर से रिएक्टिव ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रदान की गई विद्युत सुविधा अभिप्रेत है।

(11) सी ई ए से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(12) सीईआरसी से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है।

(13) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) से ऐसी सरकारी कंपनी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित करे।

(14) संयोजन करार से अन्तर्राजिक पारेषण प्रणाली के संयोजन और/या उपयोग से संबंधित उल्लिखित निबंधनों के लिए सीटीयू तथा अभिकरण के बीच करार अभिप्रेत है।

(15) संयोजन बिन्दु से ऐसा बिन्दु अभिप्रेत है जिस पर अभिकरण का संयंत्र और/या साधित्र अन्तर्राजिक पारेषण प्रणाली से जुड़े हों।

(16) संघटक से क्षेत्र के राज्य (एसईबी/एसटीयू द्वारा निरूपित) संघ राज्यक्षेत्र (इसके विद्युत विभाग द्वारा निरूपित) उत्पादन कंपनी, जिसके क्षेत्र में आई एस जी एस है) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता और डी वी सी/बीबीएमबी/एसएसएनएल (अपने-अपने क्षेत्र में) अभिप्रेत है।

(17) मांग से मेगावाट में सक्रिय ऊर्जा तथा जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो एम वी ए आर में रिएक्टिव ऊर्जा की मांग अभिप्रेत है।

(18) प्रेषण अनुसूची से एक्स ऊर्जा संयंत्र एम डब्ल्यू तथा उत्पादन केन्द्र का एम वी ए एच आर डब्ल्यू आउटपुट अभिप्रेत है जिसका समय-समय पर ग्रिड को भेजे जाने के लिए अनुसूचीकरण किया जाना होता है।

(19) डाटा अर्जन प्रणाली (डी ए एस) से अवस्थान पर रिले/उपस्करण/प्रणाली पैरामीटरों को समय पर आपरेशन के अनुक्रम के अभिलेख के लिए प्रदान की गई युक्ति अभिप्रेत है।

(20) निकासी अनुसूची से ऐसा ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है जिसे राज्य आई एस जी एस से प्राप्त करने के लिए अनुसूचित है जिसमें समय-समय पर किए गए द्विपक्षीय करार भी सम्मिलित हैं।

(21) डी बी सी से दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम अभिप्रेत है।

(22) हकदारी से आई एस जी एस की संस्थापित क्षमता/आउटपुट क्षमता में फायदाग्राही का अंश (मेगावाट तथा एम डब्ल्यू एच में) अभिप्रेत है।

(23) घटना से ग्रिड पर अननुसूचित या अयोजनाबद्ध घटना अभिप्रेत है जिसमें त्रुटि, दुर्घटना तथा ब्रेकडाउन सम्मिलित है।

(24) घटना लॉगर (ई एल) से घटना के दौरान अवस्थान पर रिले/उपस्करों के समय प्रचालन के क्रम को अभिलिखित करने के लिए प्रदान की गई युक्ति अभिप्रेत है।

(25) एक्स-ऊर्जा संयंत्र से सहायक खपत तथा ट्रांसफारमेशन हानियों में कटौती करने के पश्चात् उत्पादन केन्द्र का कुल एम डब्ल्यू/एम डब्ल्यू एच आउटपुट अभिप्रेत है।

(26) त्रुटि निर्धारक (एफ एल) से उस दूरी को, जिस पर खराब लाइन पड़ी हुई हो, मापने/उपदर्शित करने के लिए पारेषण लाइन के अंत में प्रदान की गई युक्ति अभिप्रेत है।

(27) लघकदार प्रत्यावर्ती करंट पारेषण से वह सुविधा अभिप्रेत है जो विनियमित की जाने वाली ए.सी. लाइनों पर ऊर्जा को प्रवाह करने में समर्थ बनाती है, लूप प्रवाह, लाइन लोडिंग आदि को नियंत्रित करती है।

(28) तात्कालिक उपाय से ऐसी घटना अभिप्रेत है जो ऐसे अभिकरणों के नियंत्रण से परे है जो पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हैं या जो उद्यम की युक्तियुक्त मात्रा के साथ देखे नहीं जा सकते हैं या निवारित नहीं किए जा सकेंगे और जो सारवान् रूप से या तो अभिकरण द्वारा प्रभावित होते हैं या जो निम्नलिखित तक सीमित हैं :--

- (क) दैवीय कार्य, प्राकृतिक प्रकोप जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप तथा महामारी सम्मिलित है ;
- (ख) कोई सरकारी घरूले या विदेशी कार्य जिसमें घोषित या अघोषित युद्ध, सत्कार, पूर्विकताएं, संगरोध, नौकावरोध ;
- (ग) बलवे या सिविल युद्ध ;
- (घ) ग्रिड की असफलता जो अन्तर्वर्तित अभिकरण के कारण न हो।

(29) फोर्स आउटेज से उत्पादन यूनिट या किसी पारेषण सुविधा का ऐसा आउटेज अभिप्रेत है जो त्रुटि या किसी अन्य कारण के कारण हो जिसकी योजना की गई हो।

(30) उत्पादन कंपनी से ऐसी कंपनी या निगम निकाय या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी उत्पादन केन्द्र का स्वामी हो या उसे प्रचालित करता हो या उसका रख-रखाव करता हो।

(31) उत्पादन यूनिट से ऐसा विद्युत उत्पादन यूनिट अभिप्रेत है जो उस ऊर्जा केन्द्र (संयोजन बिन्दु तक), जो उस टर्बो जनरेटर के प्रचालन से विशेषकर संबंधित हो, पर सभी संयंत्रों और साधित्रों के साथ-साथ ऊर्जा केन्द्र के भीतर टर्बाइन से जुड़ा हो।

(32) अच्छी उपयोगिता पद्धति से ऐसी कोई प्रेक्टिस, पद्धति और कार्य अभिप्रेत हैं जो उस सुसंगत अवधि के दौरान विद्युत उपयोगिता उद्योग के महत्वपूर्ण भाग में लागी हुई हैं या अनुमोदित हैं जिससे युक्तियुक्त लागत पर अच्छे परिणाम की आशा की जाती है जिसमें अच्छी व्यवसाय पद्धति, विश्वसनीयता, सुक्ष्मा तथा शीघ्रता सम्मिलित हों।

(33) गर्वनर ड्राप से गर्वनर के प्रचालन के संबंध में “गर्वनर ड्राप” से प्रणाली क्रिक्वेंसी में प्रतिशतता ड्राप अभिप्रेत हैं जो शून्य से पूर्ण भार के उसके आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए प्री गर्वनर के अधीन उत्पादन केन्द्र को कारित करेगा।

(34) ग्रिड मानक से अधिनियम की धारा 73 के खंड (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है।

(35) अतिरिक्त उच्च वोल्टता (ई एच वी) से अतिरिक्त उच्च वोल्टता से अभिप्रेत हैं जहां वोल्टता उस सामान्य दशा में 33,000 वोल्ट से अधिक है तथापि, जिसके अध्यधीन प्राधिकरण द्वारा प्रतिशतता फेरफार अनुज्ञात की जाती है।

(36) स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आई पी पी) से ऐसी उत्पादन कंपनियां अभिप्रेत हैं, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या नियंत्रित नहीं हैं।

(37) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता से ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत हैं जो अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) (ज) के अनुसार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय ऊर्जा प्रणाली की योजना तथा प्रचालन की रीति को विहित करता है तथा उसके लिए उत्तरदायी है।

(38) अन्तर्राजिक उत्पादन केन्द्र (आई एस जी एस) से ऐसे केन्द्रीय/अन्य उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत हैं जिनमें दो या अधिक राज्यों का अंश तथा जिनको अनुसूचीकरण आर एल डी सी द्वारा किया जाना है।

(39) अन्तर्राजिक पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(i) एक राज्य के राज्यक्षेत्र के दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र को मुख्य पारेषण लाइन के माध्यम से विद्युत के प्रवहण के लिए कोई प्रणाली ;

(ii) किसी मध्यवर्ती राज्य के राज्यक्षेत्र में से होकर ऊर्जा का प्रवहण तथा ऐसी राज्य के भीतर प्रवहण जो ऊर्जा के ऐसे अन्तर्राजिक पारेषण के आनुषंगिक है ;

(iii) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्मित,

उसके स्वामित्वधीन उसके द्वारा प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर

ऊर्जा का पारेषण ।

(40) आई ई सी से अन्तरराष्ट्रीय इलैक्ट्रो तकनीकी आयोग अभिप्रेत है।

(41) अनुज्ञाप्तिधारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 14 के अधीन अनुज्ञाति प्रदान की

महिला

(42) भार से उपयोगेता/संरक्षाकर द्वारा उपयोग की गई मेगाकाट/एम डब्ल्यू एच अभिप्रेत है।

(43) श्रीधकलिन गाहक से ऐस आवेद अभिप्रेत है जो 25 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए आईएसटीएस के लिए पहुंच प्रदान कर रहा है या प्रदान करने के लिए आशयित है और जिसने पारेषण अनुज्ञाप्राप्ति के साथ मौजी ए ने इसकाकर किए हैं।

(44) अधिकतम निरन्तर रेटिंग (एम सी आर) से उस उत्पादन यूनिट की सामान्य रेटिंग पूर्ण भार एम डब्ल्यू अनुडायूट नामक अभिप्रेत है जो गोपोदैट शर्त के आधार पर जारी रखी जा सकती है।

(45) राष्ट्रीय ग्रिड से देश का ऐसा संपूर्ण अन्तर संयोजित विद्युत ऊर्जा नेटवर्क अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय ग्रिडों के अन्तर-संयोजन के पश्चात् असरीकृत होगा।

(46) कुल निकासी अनुसूची से कुल पारेषण हानियों (प्राक्कलित) में कटौती करने के पश्चात् फायदाग्राही की निकासी अनुसूची अभिप्रेत है।

(47) प्रचालन से प्रणाली के प्रचालन से संबंधित अनुसूचित या योजनाबद्ध कार्रवाई अभिप्रेत है।

(48) प्रचालन रामनव्य समिति (ओ सी री) से सभी संघटकों के सदस्यों के साथ आर पी री समिति अभिप्रेत है जो प्रानेशिक ग्रिड के प्रचालनात्मक पहलुओं को विनिश्चित करती है।

(49) प्रचालन रेज से फ्रिक्वेंसी और वोल्टता की ऐसी प्रचालन रेज अभिप्रेत है जो प्रचालन कोड के अधीन विनिर्दिष्ट है।

(50) पूल लेखा से प्रादेशिक लेखा के लिए (i) अननुसूचित विनिमय के बारे में संदाय (यू आई लेखा) या (ii) रिएक्टिव ऊर्जा विनिमय (रिएक्टिव ऊर्जा लेखा) समिलित है।

(51) पावर ग्रिड से पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है जिसे सी टी यू के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(52) ऊर्जा प्रणाली से उत्पादन, पारेषण वितरण और विद्युत के प्रदाय के सभी पहलु अभिप्रेत हैं तथा इसमें निम्नलिखित एक या अधिक समिलित हैं, अर्थात्:-

(क) उत्पादन केन्द्र;

(ख) पारेषण तथा मुख्य पारेषण लाइन;

(ग) उपकेन्द्र;

(घ) लॉट नाइट;

(ङ) गार प्रेषण योजनायोग्य;

(व) मुख्य या वितरण मेन्स;

(छ) ऊपरी लाइनें ;

(ज) सेवा लाइनें ;

(झ) संकर्म ।

(53) रिएक्टर से ऐसी विद्युत सुविधा अभिप्रेत है जो विशेषकर रिएक्टिव ऊर्जा को समामेलित करने के लिए डिजाइन की गई हो ।

(54) प्रादेशिक ऊर्जा समिति से उस क्षेत्र में ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत आपरेशन को सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार के संकल्प द्वारा स्थापित एक समिति अभिप्रेत है ।

(55) आर पी सी सचिवालय से आर पी सी सचिवालय अभिप्रेत है ।

(56) क्षेत्रीय ऊर्जा खाता से 'क्षमता प्रभार' ऊर्जा प्रभार 'यू आई प्रभार' और रिएक्टिव प्रभार के बिलिंग तथा व्यवस्थापन के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा खाता अभिप्रेत है ।

(57) क्षेत्रीय ग्रिड से संबंधित क्षेत्र के विद्युत नेटवर्क से जुड़ा संपूर्ण समक्रमिक अभिप्रेत है जो आईएसटीएस, आई एस जी एस तथा अन्तर-राज्य प्रणाली से बना है ।

(58) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है ।

(59) शेयर से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आई एस जी एस में फायदाग्राही का प्रतिशतता शेयर अभिप्रेत है या जो आई एस जी एस और इसके फायदाग्राहियों के बीच तथ हुआ हो ।

(60) एकल लाइन डायग्राम से ऐसा डायग्राम अभिप्रेत है जो एच वी/ई एच वी साधित्रों का योजनाबद्ध प्रतिरूपण और इसकी संख्या तथा लेबल वाली संख्या को दर्शित करने वाले सभी बाह्य सर्किट संयोजन अभिप्रेत है ।

(61) साइट कामन रेखाचित्र से प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए तैयार ऐसा रेखाचित्र अभिप्रेत है जिसमें ले आउट लेखाचित्र, विद्युत ले आउट रेखाचित्र, सामान्य संरक्षण/नियंत्रण लेखाचित्र और सामान्य सेवा रेखाचित्र सम्मिलित है ।

(62) स्पिनिंग रिजर्व से कुछ रिजर्व मार्जिन के साथ भाग भारित उत्पादन क्षमता अभिप्रेत है जो प्रणाली के समकालिक होती है और प्रेषण अनुदेश के अनुसरण में या फ्रिक्वेंसी छाप के प्रत्युत्तर में तत्काल अन्य सूचना पर उत्पादन वृद्धि करती है ।

(63) पारेषण प्रणाली के लिए रथायी समिति से आईएसटीएस और सहबद्ध अन्तर-राज्यिक प्रणाली में विस्तार या उपांतरण करने के लिए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने, पुनर्विलोकन करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सी ई ए.द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है ।

(64) एस ई बी से राज्य विद्युत बोर्ड जिसमें राज्य विद्युत विभाग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

(65) एस ई आर सी से राज्य विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है।

(66) एस एस एन एल से सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड अभिप्रेत है।

(67) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एस डी सी) से अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है।

(68) राज्य पारेषण उपयोगिता (एस टी यू) से ऐसा बोर्ड या सरकारी कंपनी अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अभिहित की गई है।

(69) स्टेटिक वी ए आर कंपनसेटर (एस वी सी) से उत्पादन के प्रयोजन के लिए या रिएक्टिव ऊर्जा को समामेलित करने के लिए डिजाइन की गई विद्युत सुविधा अभिप्रेत है।

(70) तकनीकी सहयोग समिति (टी सी सी) से क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन के तकनीकी तथा वाणिज्यिक पहलुओं का समन्वय करने के लिए आर पी सी द्वारा स्थापित समिति अभिप्रेत है।

(71) समय ब्लाक से प्रत्येक 15 मिनट का ब्लाक अभिप्रेत है जिसके लिए विशेष ऊर्जा मीटर विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटरों तथा मात्राओं को प्रारंभिक प्रथम समय ब्लाक और 00.00 घंटे के साथ अभिलिखित करते हैं।

(72) पारेषण अनुज्ञाति से विद्युत को पारेषित करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञाति अभिप्रेत है।

(73) पारेषण योजना मानदंड से पारेषण प्रणाली की योजना या डिजाइन के लिए सी ई ए द्वारा जारी नीति, मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त अभिप्रेत हैं।

(74) उपयोक्ता से आईएसटीएस का उपयोग करने वाले व्यक्ति/अभिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए आई ई जी सी के विभिन्न खंडों में प्रयुक्त पद अभिप्रेत हैं जो आई ई जी सी के प्रत्येक खंड में और विशिष्ट रूप से पहचाने गए हैं।

अध्याय 2

विभिन्न संगठनों तथा इनके संयोजन की भूमिका

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों, प्रादेशिक ऊर्जा समितियों/प्रादेशिक विद्युत बोर्ड, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता तथा उनके संगठनात्मक संयोजनों की भूमिका को पुनः परिभाषित किया जाए जिससे कि एक बड़े स्तर पर क्षेत्रीय ग्रिड के विकास तथा उसके सुधार

प्रचालन को सुकर बनाया जा सके। यह अत्याधि ग्रिड कोड से संबंधित विभिन्न संगठनों के कृत्यों को परिभासित करता है।

2.2 प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों की भूमिका

2.2.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 तथा धारा 29 के अनुसार, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के कृत्य निम्नलिखित हैं:-

- (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र संबद्ध क्षेत्र में विद्युत प्रणाली का समेकित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्षरूप निकाय होगा।
- (2) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, विद्युत के चक्रण और अधिकतम निर्धारण तथा प्रेषण के संबंध में ऐसे सिद्धान्तों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा पद्धतियों का अनुपालन करेगा जो ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (3) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र—
 - (क) क्षेत्र में प्रवालित करने वाले अनुज्ञापिधारियों या उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदाओं के अनुसार प्रेषण के लिए उत्तरदायी होगा;
 - (ख) ग्रिड प्रचालनों का मानीटर करेगा;
 - (ग) प्रादेशिक ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत की मात्रा का लेखा रखेगा;
 - (घ) अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा; और
 - (ङ) ग्रिड मानकों और ग्रिड के अनुसार प्रादेशिक ग्रिड के सुनिश्चित और भित्तव्यीय प्रचालन के द्वारा क्षेत्र के भीतर विद्युत के ग्रिड नियंत्रण तथा प्रेषण के लिए यथार्थिक रामय प्रचालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र ऐसे निदेश दे सकेगा और ऐसा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण कर राकेगा जो ग्रिड प्रचालनों के स्थानित को सुनिश्चित करने के लिए और उसके नियंत्रणाधीन क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में अधिकतम भित्तव्यापी तथा दक्षता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।
- (5) प्रत्येक अनुज्ञापिधारी, उत्पादन कंपनी, उत्पादन केन्द्र उपकेन्द्र और विद्युत प्रणाली के प्रचालन से जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा जारी किए गए नियंत्रणों का अनुपालन करेगा।
- (6) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण लाइनों के किसी पारेषण अनुज्ञापिधारी या राज्य के किसी अन्य अनुज्ञापिधारी या उत्पादन कंपनी (जनरल बिन जो अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़े हुए हैं) या दूजे में उपकेन्द्र को जारी किए जाने वाली नियंत्रण लाइन भार प्रेषण केन्द्र की माहित जारी किए जाएंगे और राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे नियंत्रणों का

अनुज्ञापितारी या उत्पादन कंपनी या उपकेन्द्र द्वारा सम्मानित रूप से अनुपालन किया जाता है।

- (7) यदि कोई विवाद विद्युत की क्षालिटी और प्रादेशिक ग्रिड के सुरक्षित, सुनिश्चित और समेकित प्रचालन के संबंध में या इस धारा के अधीन दिए गए किसी निवेश के संबंध में उत्पन्न होता है, तो उसे केन्द्रीय आयोग को विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा।

परन्तु यह कि केन्द्रीय आयोग का विनिश्चय लियते रहने तक, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के निवेशों का, यथारिथे, राज्य भार प्रेषण केन्द्र या अनुज्ञापितारी या उत्पादन कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

2.2.2 प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के विशेष कृत्य निम्नलिखित रूप में अनुद्यात हैं :—

- (1) प्रणाली प्रचालन तथा नियंत्रण जिसमें ऊर्जा का अन्तर-राजिक/अन्तर-प्रादेशिक अन्तरण आकस्मिकता विश्लेषण और वास्तविक समय आधार पर प्रचालनात्मक योजना सम्मिलित है;
- (2) उत्पादन की अनुसूचीकरण/पुनःअनुसूचीकरण;
- (3) आगामी ग्रिड वाधाओं को प्रतिस्थापित करने की प्रणाली;
- (4) बीटरिंग तथा आंकड़ा संग्रहण;
- (5) प्रणाली प्रचालन से संबंधित आंकड़ों को संकलन तथा प्रस्तुत करना;
- (6) प्रादेशिक यू आई पूल खाता तथा प्रादेशिक रिएक्टिव ऊर्जा खाता का प्रचालन।

2.2.3 अन्तर-राजिक पारेषण में खुली पहुंच की दशा में, क्षेत्र के प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र जहाँ विद्युत की निकासी अवरिथेत है, अल्पकालिक पारेषण पहुंच के लिए नोडल अमिकरण होगा। अल्पकालिक खुली पहुंच के संबंध में प्रक्रिया तथा पद्धतियां समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राजिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के अनुसार होंगी।

2.3 क्षेत्रीय ऊर्जा समिति की भूमिका

- 2.3.1 आर पी सी को क्षेत्र में ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत प्रयोजन को सुकर बनाने के लिए विनियिट बोर्ड के द्वितीय राजकार के तारीख 25.5.2005 के संकल्प द्वारा गठित किया गया है। बोर्ड के संविधान संसद द्वारा दिया गया है। जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आर पी सी संविधान संसद के अन्य कर्मसाधारिण्य के साथ नियुक्त किया जाता है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(4) के अधीन, बोर्ड में क्षेत्रीय उन्नी समिति समय समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड स्थापित और नियोजित प्रयोजन तथा विद्युत प्रणाली के प्रयोजन ये मितव्यादि गतिहास से सम्बंधित विषयों पर सहमत हो सकती।
- 2.3.2 निम्नालिखित कृत्यों, जो प्रणाली के स्थायित्व तथा नियोजित प्रयोजन को सुकर बनाते हैं, की आर पी सी के लिए पहचान की गई है :—

- (i) ग्रिड कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रचालन विश्लेषण आरंभ करना ;
- (ii) ऊर्जा का अन्तर-राज्यिक/अन्तर-प्रादेशिक अन्तरण को सुकर बनाना ।
- (iii) सी टी यू/एस टी यू के साथ अन्तर-राज्यिक/अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित योजनाओं के सभी कृत्यों को सुकर बनाना ;
- (iv) क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों के रख-रखाव की योजना का समन्वय करना जिसमें वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत प्रदाय करने वाली अन्तर-राज्यिक उत्पादन कंपनियां भी सम्मिलित हैं और मासिक आधार पर रख-रखाव के लिए बनाए गए कार्यक्रम का पुनर्विलोकन आरंभ करना ;
- (v) मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के आउटेज की योजना आरंभ करना ;
- (vi) प्रचालनात्मक योजना अध्ययन आरंभ करना जिसमें ग्रिड के स्थायी प्रचालन के लिए संरक्षण अध्ययन भी सम्मिलित है ;
- (vii) प्रणाली अध्ययन समिति के माध्यम से रिएक्टिव प्रतिकर अपेक्षा का पुनर्विलोकन करके पर्याप्त वौल्टता को बनाए रखने के लिए योजना तथा संस्थापित कपेसटरों की मानीटरिंग आरंभ करना ;
- (viii) क्षेत्र में ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता तथा दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाना ।

2.3.3 क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन तथा विद्युत का अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के बारे में सहमति प्राप्त करके आर पी सी का विनिश्चय का अनुसरण केन्द्रीय आयोग के निदेशों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए आर एल डी सी द्वारा किया जाएगा ।

2.3.4 अनुचित व्यवहार, विलंब, भेदभाव, जानकारी का अभाव, गलत जानकारी का दिया जाना या अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच से संबंधित किरी अन्य मामलों के बारे में सभी शिकायतों उस क्षेत्र के सदस्य सचिव, आर पी सी को भेजी जाएंगी जिसमें वह प्राधिकरण, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, अवस्थित है । सदस्य सचिव, आर पी सी शिकायत की जांच करेगा तथा उनको दूर करने का प्रयास करेगा । यदि सदस्य सचिव, आर पी सी मामले को निपटाने में असफल रहता है तो विनिश्चय के लिए इसे केन्द्रीय आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा ।

2.3.5 सदस्य सचिव, आर पी सी पारेषण प्रभारी/क्षमता प्रभारी और प्रोत्साहन का सदाय करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को प्रमाणित करेगा :—

- (1) क्षेत्रीय ए सी तथा एच वी सी पारेषण प्रणाली की उपलब्धता ;
- (2) आई एस पी एस (थर्मल) के लिए उपलब्धता और संयंत्र भार कारक ;
- (3) आई एस जी एस (हाइड्रो) के क्षमता इंडेक्स ।

2.4 सी टी यू की भूमिका

2.4.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अनुसार, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सी टी यू) के निम्नलिखित कृत्य होंगे:--

- (1) (क) अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के द्वारा विद्युत का पारेषण करना ;
- (ख) निम्नलिखित के साथ अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना तथा समन्वय के सभी कृत्यों का निर्वहन करना--

- (i) राज्य पारेषण उपयोगिता ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार ;
- (iii) राज्य सरकारें ;
- (iv) उत्पादन कंपनियाँ ;
- (v) प्रादेशिक विद्युत समितियाँ ;
- (vi) प्राधिकरण ;
- (vii) अनुज्ञापिधारी ;
- (viii) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति ;

(ग) उत्पादन केन्द्रों से भार केन्द्रों को विद्युत के निर्बाध प्रवाह के लिए अन्तर-राज्यिक पारेषण लाइनों की दक्ष, समन्वित और मितव्ययी प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना ;

(घ) अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुंच,--

- (i) किसी अनुज्ञापिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभारों के संदाय ;
या
- (ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस ऐसे अधिकार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

उपयोग के लिए प्रदान करना ।

(2) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कंपनी या प्राधिकरण या निगम को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को संचालित करेगा ।

2.4.2 सीटीयू विद्युत के उत्पादन या विद्युत के व्यापार का कारबाह नहीं करेगी ।

2.4.3 अन्तर्राष्ट्रीय पारेषण में खुली पहुंच की दशा में लीर्फ़कलिक पारेषण पहुंच के लिए नोडल अभिकरण केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता तथा होमी जब यदि उसकी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लीर्फ़कलिक खुली पहुंच के संबंध में प्रक्रिया तथा पद्धतियां समय-समय पर वथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विभिन्नमक आयोग (अन्तर्राष्ट्रीय पारेषण में खुली पहुंच) विभिन्नम के अनुसार होंगी।

2.5.. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) की भूमिका

2.5.1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के अनुसार, सी ई ए के कृत्य ग्रिड कोड के वथासुसंगत निम्नलिखित होंगे :—

- (1)(i) सी ई ए विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अत्यकालिक तथा भावी योजना बनाएगा, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित साधन के लिए संसाधनों के अनुकूलतम उपयोजन के लिए योजना अभिकरणों के क्रियाकलापों को समन्वित करना तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और क्षमता योग्य विद्युत उपलब्ध कराएगा;
 - (ii) विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाइनों और ग्रिड से संयोजकता के संनिर्माण के लिए तकनीकी मानक विनिर्दिष्ट करेगा;
 - (iii) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के संनिर्माण, प्रचालन और अनुख्यान के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करेगा;
 - (iv) पारेषण लाइनों के प्रचालन तथा अनुख्यान के लिए ग्रिड मानक विनिर्दिष्ट करेगा;
 - (v) विद्युत के पारेषण और प्रदाय के लिए मीटरों के संस्थापन की शर्तें विहित करेगा;
 - (vi) विद्युत प्रणाली में सुधार लाने तथा उसके संवर्धन के लिए रक्कीमों और परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने के लिए प्रोत्साहन देगा तथा उसमें राहायता करेगा;
 - (vii) विद्युत के उत्पादन पारेषण, व्यापार, वितरण तथा उपयोग से संबंधित अंकड़े एकत्रित करना और अभिलिखित करना और लागत, दक्षता, प्रतिरप्द्धा तथा ऐसे ही विषयों से संबंधित अध्ययन करेगा;
 - (viii) विद्युत के उत्पादन या पारेषण या वितरण के प्रयोजनों के लिए कोई अन्वेषण करेगा या कराएगा।
- (2) सी ई ए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के उपर्योग के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा। सी ई ए पांच वर्ष में एक बार राष्ट्रीय विद्युत योजना को अधिसूचित करेगा।

2.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र की भूमिका

- 2.6.1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32 के अन्तर राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी बी) राज्य में विद्युत प्रणाली का समाकलित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्षस्थ निकाय होगा।
- 2.6.2. एस एल डी बी अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का परीक्षण और नियंत्रण करेगा। एस एल डी बी ग्रिड गानकों और राज्य ग्रिड कोड के सुरक्षित और मित्रव्यापी प्रचालन के द्वारा राज्य के भीतर विद्युत के ग्रिड नियंत्रण तथा प्रेषण के लिए यथार्थिक समय प्रवालनों के लिए उत्तरदायी होगा। एस एल डी बी आर एल डी बी के निदेशों का अनुपालन करेगा।
- 2.6.3. एस एल डी बी राज्य डि ५ के महाम से पारेषण विद्युत की मात्रा का लेखा रखेगा।

2.7.1. राज्य पारेषण उपयोगिता की भूमिका

- 2.7.2. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 यह उद्धृत करती है कि राज्य पारेषण उपयोगिता (एस टी यू) के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (i) (क) अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के द्वारा विद्युत का पारेषण करना ;
- (ख) निम्नलिखित के साथ अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना तथा रामनवय के सभी कृत्यों का निर्वहन करना -

 - (i) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता ;
 - (ii) राज्य सरकारे ;
 - (iii) उत्पादन कंपनियां ;
 - (iv) प्रावेशिक विद्युत रामिलियां ;
 - (v) प्राधिकरण ;
 - (vi) अनुज्ञाप्राप्तारी ;
 - (vii) राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति ;

- (ग) उत्पादन केन्द्र तै भार केन्द्रों को विद्युत के नियंत्रण प्रवाह के लिए अन्तर-राज्यिक पारेषण साइटों की द्वा रामायेत और मित्रव्यापी प्रणाली या विभास सुनिश्चित करना ;
- (घ) उपलब्ध पारेषण प्रणाली तक अदिनेक्षणीय नियंत्रण पहुंच,
- (ङ) नियंत्रण अनुज्ञाप्राप्तारी या उत्पादन नियनी द्वारा पारेषण प्रमाणे के संकाय

- (ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस ऐसे अधिकार के संदाय पर, जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,
- उपयोग के लिए प्रदान करना।
- (2) जब तक सरकारी कंपनी या किसी प्राधिकरण या निगम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक राज्य पारेषण उपयोगिता राज्य भारते प्रेषण केन्द्र को प्रवालित करेगी।

अध्याय 3

अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए योजना कोड

यह अध्याय अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करता है।

3.1 प्रस्तावना

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2)(ख) के अनुसार, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सी टी यू) राज्य पारेषण उपयोगिता, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, उत्पादन कंपनियों, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, अनुज्ञाप्तिधारी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति के साथ समन्वय में अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना तथा समन्वय के सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा।
 - (ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2)(घ) के अनुसार, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता अन्य बातों के साथ-साथ अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुंच,—
 - (क) किसी अनुज्ञाप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभारों के संदाय पर; या
 - (ख) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,
- उपयोग के लिए प्रदान करेगा।
- (iii) इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 39(2)(ख) के अनुसार राज्य पारेषण उपयोगिता (एस टी यू) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, राज्य सरकारों, उत्पादन कंपनियों, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए), अनुज्ञाप्तिधारी और अन्तर-राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति के साथ अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना तथा समन्वय के सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा।
 - (iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39(2)(घ) के अनुसार, राज्य पारेषण उपयोगिता (एस टी यू) अन्य बातों के साथ-साथ अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुंच,—
 - (क) किसी अनुज्ञाप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभारों के संदाय पर; या

- (ख) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

उपयोग के लिए प्रदान करना।

- (v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 40 के अनुसार पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी अन्य बातों के साथ-साथ अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुंच,--

- (क) किसी अनुज्ञाप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभारों के संदाय पर ; या

- (ख) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

उपयोग के लिए प्रदान करना।

- (vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) के अनुसार सी ई ए राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और ऐसी योजना को पांच वर्ष में एक बार अधिसूचित करेगा। अधिनियम की धारा 3(5) के अनुसार सी ई ए राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण कर सकेगा।

- (vii) अधिनियम की धारा 73(क) के अनुसार सी ई ए राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा, विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अत्यकलिक और भावी योजनाएं बनाएगा तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित साधन के लिए संसाधनों के अनुकूलतम उपयोजन के लिए योजना अभिकरणों के क्रियाकलापों की समन्वित करेगा तथा सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तथा क्षमतायोग्य विद्युत उपलब्ध कराएगा।

- (viii) योजना कोड में नीति को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा क्षेत्रीय ग्रिडों तथा अन्तर प्रादेशिक लिंकों की योजना में लागू की जाने वाली प्रक्रिया सम्मिलित है।

3.2 उद्देश्य

योजना कोड के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :--

- (क) सिद्धान्त, प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त को विनिर्दिष्ट करना जो आईएसटीएस तथा अन्तर प्रादेशिक लिंकों की योजना तथा विकास में उपयोगी होंगे ;
- (ख) आईएसटीएस के किसी प्रस्तावित विकास में सभी क्षेत्रीय संघटकों और अभिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाना ;

- (ग) आईएसटीएस की योजना तथा विकास में क्षेत्रीय संघटकों तथा अभिकरणों के बीच पद्धति तथा जानकारी का आदान प्रदान करना।

3.3. विस्तार

योजना कोड सी टी यू अन्य पारेषण अनुज्ञापिधारियों, अन्तर राज्यिक उत्पादन केन्द्रों जो आईएसटीएस को विकसित करने में उससे जुड़े हों या उनका उपयोग करते हों, को लागू होता है। यह योजना कोड आईएसटीएस को/उससे ऊर्जा का उत्पादन और/ या पारेषण से संबंधित उत्पादन कंपनियों आई पी पी, एस ई बी/एस टी यू को भी लागू होता है।

3.4 योजना नीति

- (क) सी टी यू ए अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली तथा अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए भावी पारेषण योजना को विरचित करेगा। ये भावी पारेषण योजना सीजनल तथा दिन के समय फेरफार पर विचार करने के लिए भार प्रोजेक्शन तथा उत्पादन परिक्षण के पुनरीक्षण में देखरेख करने के लिए निरन्तर तैयार रहता है।
- (ख) सी टी यू प्रमुख अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की पहचान करने के लिए अपेक्षानुसार समय-समय पर योजना प्रक्रिया को कार्यान्वित करता है जिसमें अन्तर-राज्यिक रकीमें भी समिलित हैं जो सी टी यू द्वारा विकसित भावी योजना में फिट बैठती है। जबकि योजना रकीमों में, सी टी यू द्वारा विभिन्न अभिकरणों/ प्रादेशिक संघटकों के साथ परामर्श करने में और अधिप्रमाणित प्रकृति के अंकड़े एकत्रित करने के अलावा निम्नलिखित पर विचार किया जाता है—
- (i) सी टी यू द्वारा विरचित भावी योजना;
 - (ii) सी टी यू द्वारा प्रकाशित भारत विद्युत ऊर्जा रार्वेक्षण;
 - (iii) पारेषण योजना मानदण्ड तथा सी टी यू द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्त;
 - (iv) भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत नीति पर रिपोर्ट जो आईएसटीएस के विकास के लिए सुसंगत होती है।
- (ग) प्रमुख अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त, सी टी यू समय-रागय पर रकीमों को सुदृढ़ करने के लिए योजना बनाएगा जिसकी आवश्यकता ऊर्जा अन्तरण में अवरोधों को दूर करने तथा ग्रिड के संपूर्ण कार्य विभादन में सुधार करने में हत्थन होगी। अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रस्तावों, जिसमें योजना अध्ययनों के आधार पर पहचानी गई रकीम को सुदृढ़ करना भी समिलित है, पर फायदाग्रहियों, आर पी री, री टी यू तथा आर एल डी सी के परामर्श से सी टी यू द्वारा गठित पारेषण योजना के लिए क्षेत्रीय समितियों की बैठकों में विचार-विमर्श, पुनर्विज्ञोक्तन तथा अंतिम रूप दिया जाएगा।
- (घ) अन्तर-राज्यिक पारेषण में स्कूली पहुंच प्रदान करने के लिए सी टी यू भार सी विभिन्न के अनुसार आवेदकों को दीर्घकालिक परेशान पहुंच की व्यवस्था करने के लिए नोडल अभिकरण सी टी यू होगा यदि उसकी प्रक्रिया का उपयोग किया

जाता है और अल्पकालिक पारेषण पहुंच के लिए उस क्षेत्र का प्रांतीशिक भार प्रेषण फेन्ड्र होगा जहाँ विद्युत की निकासी का स्थान अवस्थित है।

- (ङ) यदि आईएसटीएस में दीर्घकालिक खुली पहुंच प्रणाली को मजबूत किए बिना अनुज्ञात नहीं किया जाता है, तो आवेदक सी टी यू से सुदृढ़ करने वाली अपेक्षा की पहचान करने तथा उसकी प्राक्कलित लागत प्रणाली अध्ययन करने का अनुरोध करेगा।

इसके अतिरिक्त सी ई आर सी और समय-समय पर सी टी यू द्वारा विरचित निर्बंधनों तथा शर्तों के अनुसार दीर्घकालिक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक खुली पहुंच के लिए आवेदन, जिसमें आईएसटीएस में सी टी यू द्वारा पहचानी गई सुदृढ़ प्रणाली भी सम्मिलित है, पर अन्य अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा तथा उसको अंतिम रूप दिया जाएगा।

- (च) सभी संघटक तथा अभिकरण सी टी यू को उसकी योजना बनाने तथा उसे अंतिम रूप देने में समर्थ बनाने के लिए समय-समय पर बांधित योजना आंकड़ा प्रदान करेंगे।
- (छ) योजना रिपोर्ट में अतिरिक्त पारेषण अपेक्षा संबंधी अध्ययन सम्मिलित होंगे जिसमें न केवल अन्तर-राज्यिक पारेषण लाइन सम्मिलित होगी अपितु उसमें ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रिएक्टर आदि जैसे अतिरिक्त उपकरण भी सम्मिलित होंगे।
- (ज) योजना रिपोर्ट अतिरिक्त अपेक्षा तथा नई स्कीमों पर हुई वास्तविक प्रगति को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई को भी उपर्युक्त करती है। यो रिपोर्ट आईएसटीएस को विनिधान विनिश्चय/संयोजन विनिश्चय करने के लिए किसी भी हितवद्धु पक्षकार को उपलब्ध होंगी।
- (झ) जैसा कि वोल्टता प्रबंधन ऊर्जा के अन्तर-राज्यिक पारेषण में एक अहम भूमिका अदा करता है, कैपेसिटर, रिएक्टर, एरा वी री तथा लचीला वैकल्पिक करंट पारेषण प्रणाली (एफएरीटीएस) आदि की योजना बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- (ञ) सी टी यू द्वारा तैयार योजना के आधार पर, राज्य प्रारेषण उपयोगिता (एस टी यू) को आईएसटीएस से और ऊर्जा प्राप्त करने के अपनी प्रणाली की योजना को बनाना होगा।

आईएसटीएस से परे ऊर्जा समामेलित/प्राप्त करने के लिए अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में किसी भी प्रकार सुदृढ़ता की अपेक्षा करने वाले दीर्घकालिक खुली पहुंच आवेदनों की दशा में, आवेदक संबंधित एस टी यू के साथ समन्वय करेगा।

- (ञ) अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली और राहवद्ध अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली अनुपूरक है तथा वे अन्य योजना तथा कार्ड विष्यादान पर अन्तर अधित हैं तथा प्रमाणित करती है। इसानेपृष्ठ सम्बद्ध अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली उपलब्ध ३.४(ग) में उक्तोंसे आईएसटीएस के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श के दौरान कार्यान्वयित करने से पूर्व विचार-विमर्श भी करेगी तथा उसका पुनर्विलोकन करेगी।

3.5. योजना मानदंड

साधारण नीति

(क) योजना मानदंड ऐसी सुख्खा नीति के आधार पर होते हैं जिस पर आईएसटीएस ने योजना बनाई हो। सुख्खा नीति पारेक्षण योजना मानदंड तथा सी ई ए द्वारा लिए गए अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार हो सकेंगी। साधारण नीति निम्नलिखित रूप में है :—

(i) साधारण नियम में आईएसटीएस नियमित प्रचालन के दौरान लोड शेडिंग की आवश्यकता के बिना या उत्पादन का पुनःअनुसूचीकरण किए बिना निम्नलिखित प्रासंगिक आउटेज को रोकने तथा उसके प्रति सुरक्षित होंगे :—

- 132 केवी डी/सी लाइन का आउटेज ; या
- 220 केवी डी/सी लाइन का आउटेज ; या
- 400 केवी एसी/सी लाइन का आउटेज ; या
- एकल अन्तर संयोजक ट्रांसफार्मर का आउटेज ; या
- एच वी डी सी बाईपोल लाइन का एक पोल आउटेज ; या
- 765 केवी एस/सी लाइन का आउटेज ।

(ii) उपरोक्त प्रासंगिकताएं दूसरी 220 केवी डी/सी लाइन या दूसरे कारीडोर में 400 केवी एस/सी लाइन पूर्व प्रासंगिक प्रणाली की क्षीणता (योजनाबद्ध आउटेज) की अवास्तविकता पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादन यूनिटें अपने रिएक्टर क्षमता के भीतर प्रचालित की जा सकेंगी और नेटवर्क वॉल्टता को प्रोफाइल विनिर्दिष्ट वॉल्टता सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाएगा।

(iii) आईएसटीएस स्थायित्व की हानि के बिना अधिक गंभीर एकल प्रणाली इंफीड की हानि को बनाए रखने में समर्थ होगा।

(iv) उपरोक्त परिभाषित किसी भी बात को निम्नलिखित के लिए कारित नहीं माना जाएगा :—

- (i) प्रताय की हानि ;
- (ii) निम्न किसीसी प्रणाली और उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं का दीर्घ प्रचालन ;
- (iii) अस्वीकार्य उच्च तथा निम्न वॉल्टता ;

- (iv) प्रणाली अरथायित्व ;
- (v) आईएसटीएस तत्वों का अस्तीकार्य अधिक भार।
- (घ) सभी उपकेन्द्रों (132 केंद्रीय और उससे ऊपर) में, कम से कम दो ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे।
- (झ) सी टी यू आईएसटीएस के रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिकर के लिए योजना अध्ययन करेगा जिसमें आई एसजी एस रिवर्चर्ड पर रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिकर अपेक्षा भी सम्मिलित है।

3.6. योजना आंकड़ा

- (क) इस योजनाबद्ध कोड के अधीन, एस ई बी/एस टी यू/आई एस जी एस/राज्य उत्पादन कंपनियाँ/आई पी पी/अनुज्ञाप्रिधारों को निम्नलिखित दो प्रकार के आंकड़े प्रदान करने होते हैं :—
 - (i) मानक योजना आंकड़ा ;
 - (ii) विरत्तुत योजना आंकड़ा।
- (ख) मानक योजना आंकड़ा
 - (i) मानक योजना आंकड़े में वह व्यौरे होते हैं जिससे उपयोक्ता विकास के कारण आर एस टी एस पर होने वाले प्रभाव का अन्वेषण करने के लिए सी टी यू के लिए सामान्यतः पर्याप्त होने की आशा की जाती है।
 - (ii) मानक योजना आंकड़ा में (क) प्रारंभिक परियोजना योजना आंकड़े (ख) वर्चनबद्ध परियोजना योजना आंकड़े और (ग) संयोजित योजना आंकड़े सम्मिलित होते हैं जिन्हें आईएसटीएस से जुड़े राज्य विद्युत बोर्ड/एस टी यू तथा उत्पादन कंपनियों को प्रस्तुत करना चाहिए। यह आंकड़ा सी टी यू द्वारा प्रदाय किए गए मानक प्ररूपों में समय-समय पर री टी यू को प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (iii) इस आंकड़े को प्रस्तुत किए जाने के लिए मानक प्ररूपों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (अगरत 2001 में) विकसित और अनमोदित कर दिया गया है।
- (ग) विस्तृत योजना आंकड़े

विस्तृत योजना आंकड़े में ऐसे अतिरिक्त और अवस्तुत आंकड़े रागमिलित हैं जिनसे आई एस टी एस पर उपभोक्ता विकास के प्रभाव को जानने के लिए री टी यू द्वारा अपेक्षित किए जाने के लिए सामान्यतः आशा नहीं की जाती है। यह आंकड़ा आईएसटीएस के उपभोक्ता द्वारा जब कभी री टी यू द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

3.7 पारेषण योजना का कार्यान्वयन

पारेषण लाइनों, अन्तर्र-संयोजित ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स/फैगेसिटरों और अन्य पारेषण तत्वों के कार्यान्वयन का वास्तविक कार्यक्रम संबंधित अभिकरणों के परामर्श से सी टी यू द्वारा अवधारित किया जाएगा। इस संकर्म का पूरा किया जाना एक विहित समय के भीतर संबंधित अभिकरण के माध्यम से सी टी यू द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय 4

संयोजन शर्तें

4.1 प्रस्तावना

संयोजन शर्तें न्यूनतम तकनीकी तथा डिजाइन मानदंड विहित करती हैं जिनका पालन सी टी यू द्वारा और आईएसटीएस से संयोजन चाहने वाले किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाएगा। वे ऐसी प्रक्रिया भी विहित करते हैं जिसके द्वारा सी टी यू तय किए गए संयोजन के लिए पूर्व अध्येक्षा के अनुसार उपरोक्त मानदंड के साथ किरी अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।

4.2 उद्देश्य

संयोजन शर्तें निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं :—

- (क) संयोजन के लिए मूल नियमों का पालन अविभेदकारी रीति से सभी अभिकरणों द्वारा किया जाता है;
- (ख) कोई नया या उपांतरित संयोजन, जब लगाया जाता है, आईएसटीएस से उसका संयोजन होने के कारण न तो प्रभाव डालेगा और न ही अन्य संबंधित अभिकरण की प्रणाली पर अस्वीकार्य प्रभाव अधिरोपित करेगा;
- (ग) सभी उपकरणों के लिए रखामित्वा और उत्तरदायित्व ऐसे प्रत्येक स्वरूप के लिए जहां संयोजन उपलब्ध कराया जाता है, अनुसूची भी (रश्ल उत्तरदायित्व अनुसूची) में स्पष्ट रूप से उपर्युक्त की जाएगी।

4.3 विस्तार

सभी संघटकों (सी टी यू आई एस जी एस, एस ई बी/एरा टी यू) और आईएसटीएस के विकास में अन्तर्वित और उनसे जुड़े कोई अन्य अभिकरण/अनुज्ञादिधारी को लागू होने। यह संयोजन कोड ऐसे सभी अभिकरणों को भी लागू होते हैं जिनकी आईएसटीएस को या उससे विद्युत का लक्षात्मक करने/पारेषित करने की योजना है। अन्तर शान्तिक प्रणाली में सनिहित उत्पादन यूनिटों, और जो आई एस टी एस से जुड़े नहीं हैं, के लिए संयोजन शर्ते अपने-अपने एस टी यू/एस ई बी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.4 संयोजन के लिए प्रक्रिया

(क) अभिकरण को आईएसटीएस से जोड़े जाने से पूर्व, इसके साथ पूरी की जाने वाली अन्य तय अपेक्षाओं के अतिरिक्त, आई ई जी सी में दी गई सभी आवश्यक शर्तों को अभिकरण द्वारा अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। आईएसटीएस के उपयोग के लिए नए या उपांतरित संयोजन चाहने वाले किसी भी अभिकरण को निम्नलिखित ब्यौरों सहित सी टी यू को एक मानक प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा,—

- (i) प्रस्तावित संयोजन और/या उपांतरण, पारेषण अनुज्ञापिधारी जिसकी प्रणाली संयोजन के लिए प्रस्तावित है, संयोजन बिन्दु संयोजित किए जाने वाले साधित्रों का विवरण या पहले की संयोजित साधित्रों का उपांतरण तथा प्रस्तावित संयोजन के फायदाग्राहियों के प्रयोजन को दर्शित करने वाली रिपोर्ट;
- (ii) संनिर्माण अनुसूची तथा लक्ष्य पूरा होने की तारीख ;
- (iii) उस आशय की पुष्टि कि अभिकरण आई ई जी सी, भारतीय विद्युत नियम तथा विभिन्न मानक जिनमें अधिनियम के अनुसरण में बनाए गए ग्रिड संयोजकता मानक भी सम्मिलित है, द्वारा आवद्ध होगा।

सी टी यू सामान्यतः सभी ब्यौरों की प्राप्ति की तारीख के एक मास की अवधि के भीतर अभिकरण को औपचारिक प्रताव करेगा। अपेक्षाओं तथा प्रक्रियाओं के ब्यौरे और अभिकरण के साथ संयोजन करार के परिणामरूप आईएसटीएस के संयोजन के प्रस्ताव में दिए जाएंगे। अनुपालन करने पर, सी टी यू इस पारेषण अनुज्ञापिधारी तथा आवेदक अभिकरण को अधिसूचित करेगा जिसे आईएसटीएस से जोड़ा जा सकता है।

- (ख) तथापि, आईएसटीएस नेटवर्क तथा क्षेत्रीय संघटकों/आई एस जी एस के बीच विद्यमान संयोजनों की दशा में, संयोजन शर्तों के संबंध में एक वर्ष का शिथिलीकरण अनुज्ञात है जिससे कि वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जा सके। आई एस जी एस/क्षेत्रीय संघटकों के साथ संयोजन शर्तों की पुनः बातचीत की प्रक्रिया एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। यदि यह अवधारित किया जाता है कि संयोजन शर्तों के अनुपालन में विलम्ब हो जाएगा और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और छूट दे सकेगा जिसके लिए संबंधित संघटक को सी टी यू की सिफारिश/टीका-टिप्पणियों के साथ एक याचिका फाइल करनी होगी। उपांतरण की लागत, यदि कोई हो, संबंधित संघटक द्वारा वहन की जाएगी।

4.5 संयोजन करार

संयोजन करार में (फिन्डु जो सीमित है) यथारमुचित निवंधनों तथा शर्तों के भीतर निम्नांतरित सम्मिलित होता है:-

- (i) आई ई जी सी के अनुपालन के लिए नेनों प्रकारों की अपेक्षा करने वाली शर्त ;
- (ii) संयोजन, तकनीकी अपेक्षाएं तथा वाणिज्यिक व्यवस्था के बारे ;
- (iii) प्रणाली, आंकड़ा, संचार, आर टी यू आदि की आवश्यक पुनः प्रवर्तन या विस्तारण से उद्भूत कोई भी पूँजी व्यय, तथा संबंधित प्रक्षकारों के बीच उसके विभाजन के बारे ;
- (iv) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची ;
- (v) संरक्षण तथा टेलीमिटरी पर साधारण नीति, मार्गदर्शक सिद्धान्त आदि ।

एक माडल संयोजन करार अध्याय 4 के उपांचंद्र 1 में दिया गया है ।

4.6. आईएसटीएस पैरामीटर परिवर्तन

(क) साधारण

ऊर्जा प्रणाली के अधीन, प्रणाली फ्रिक्वेंसी और वोल्टता के तात्कालिक मूल्य उनके प्रसामान्य मूल्य से फेरफार के अधीन रहते हुए होते हैं । सभी अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि आईएसटीएस से/को सेवा की अपेक्षा करने वाले संयंत्र और साधित्र ऐसे डिजाइन और संनिर्मित होते हैं कि उनका समाधानप्रद प्रचालन ऐसे फेरफार को नहीं रोकेगा ।

(ख) फ्रिक्वेंसी फेरफार

प्रणाली की रेटित फ्रिक्वेंसी 50.0 एच ज्येड होगी तथा जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों/मानकों के अनुसार सीमाओं के भीतर सामान्य नियंत्रित की जाएगी नियंत्रित करेगा ।

(ग) वोल्टता फेरफार

- (i) वोल्टता में अन्तर प्राधिकरण द्वारा विरचित विनियमों/मानकों में विनिर्दिष्ट वोल्टता रेज से अधिक नहीं हो सकेगी ;
- (ii) उप-पारेषण तथा वितरण में लगे अभिकरण जब संयोजित किए जाते हैं, रिएक्टिव समर्थन के लिए आईएसटीएस पर निर्भर नहीं होंगे । अभिकरण प्राक्कलन करेगी तथा जब तक री टी यू के साथ विनिर्दिष्टतः तय न हो, उसकी पूर्ण रिएक्टिव ऊर्जा अपेक्षा को पूरा करने के लिए उनके पारेषण तथा वितरण में अपेक्षित रिएक्टिव प्रतिकर प्रदान करेगा ।

4.7. संयोजन बिन्दु पर अभिकरण और सी टी यू उपकरण

(क) उपकेन्द्र उपकरण

- (i) सभी ई एच वी उपकेन्द्र उपकरण भारतीय मानक द्वारा (बी आई एस/आई ई सी/अभिभावी पद्धति कोड का अनुपालन करेंगे।
- (ii) सभी उपकरण आई ई सी/बी आई एस मानक के अनुसार क्वालिटी एश्योरेस अपेक्षा के अनुसार डिजाइन, विनिर्मित और जांच किए हुए होंगे।
- (iii) अभिकरण तथा आईएसटीएस के बीच प्रत्येक संयोजन बाधित करने में समर्थ सर्किट ब्रेकर संयोजन बिन्दु पर शार्ट सर्किट करेंट पर नियंत्रित किया जाएगा जैसा संयोजन करार में सी टी यू द्वारा सलाह दी गई है।

(ख) त्रुटि दूर करने का समय

- (i) जब सभी उपकरण आईएसटीएस से सीधे जुड़े अभिकरण उपकरण पर तीन फेज त्रुटि (बास बार के निकट) के लिए तथा अभिकरण से जुड़े आईएसटीएस पर तीन फेज त्रुटि (बास बार के निकट) तीन प्रकार से प्रवालित किए जाते हैं, तब त्रुटि को दूर करने का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :—
 - (क) 800 केवी वर्ग और 400 केवी के लिए 100 मि.ली. सेकेंड (एम एस) ;
 - (ख) 220 केवी और 132 केवी के लिए 160 मि.ली. सेकेंड (एम एस)
- (ii) उपरोक्त त्रुटि दूर करने की समय-अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रदान की गई प्रारंभिक संरक्षण प्रणाली के असफल रहने की दशा में बैकअप संरक्षण अपेक्षित वियोजन/संरक्षण के लिए प्रदान किया जाएगा। यदि आईएसटीएस से उत्पादन यूनिट प्रत्यक्षतः जुड़े हों तो जब तक आईएसटीएस की ओर से बैकअप संरक्षण द्वारा त्रुटि दूर नहीं कर दी जाती है तब तक यह इसे रोके रखेगा।

(ग) संरक्षण

संरक्षण प्रणाली सी टी यू के समन्वय से आईएसटीएस से जुड़े सभी अभिकरण तथा संघटक द्वारा प्रदान की जानी अपेक्षित है। ऐसी कोई युक्ति, जो नेटवर्क में विद्यमान संरक्षण रिले/स्कीम के उपांतरण/प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक है, की संस्थापन के दशा में, ऐसा उपांतरण/प्रतिस्थापन नेटवर्क के अपने-आपने भाग के रखामी द्वारा किया जाएगा।

संरक्षण प्रणाली खराब उपकरण को अलग करने की अपेक्षा करती है और सभी प्रकार की खराबी, यह आंतरिक हो या बाहर, विश्वसनीयता, चयनीता तथा अतिसंवेदनशीलता के साथ खराबी ठीक करने के विनिर्दिष्ट समय के भीतर अन्य संघटकों को संरक्षित करती है।

आईएसटीएस से जुड़े सभी अभिकरण संयोजन करार में यथाविनिर्दिष्ट संरक्षण प्रणाली प्रदान करेंगे।

रिले सेटिंग समन्वय आर पी सी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किया जाएगा। आर पी सी इस जटिल अवस्थाओं की भी पहचान करेगी। जहां बस बार संरक्षण को प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है, यदि वह उपलब्ध नहीं है।

4.8 उत्पादन यूनिटें तथा ऊर्जा केन्द्र

- (क) उत्पादन यूनिट विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट डिजाइन के अध्यधीन उपरोक्त खंड 4.6 में उपदर्शित प्रणाली फ्रिक्वेंसी तथा वोल्टता अन्तर रेज के भीतर उसकी सामान्य रेटिंग एक्टिव/रिएक्टिव आउटपुट को नियंत्रण प्रदाय करने में समर्थ होंगे;
- (ख) उत्पादन यूनिट को संयोजन करारें में यथाउल्लिखित ए वी आर बचाव तथा सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे;
- (ग) प्रत्येक उत्पादन यूनिट में टर्बाइन स्पीड गर्वनर लगाए जाएंगे जिनका संपूर्ण ड्रोप विशेषता 3% से 6% की रेज के भीतर होगी जो हमेशा चालू रिथेति में रहेगा;
- (घ) प्रत्येक उत्पादन यूनिट 5% तक आउटपुट में तात्कालिक वृद्धि में समर्थ होगी जब फ्रिक्वेंसी 15% एम सी आर तक सीमित होती है। पूर्व एम डब्ल्यू स्तर का ऐपिंग बैक (बढ़ाए गए आउटपुट की दशा में स्तर नहीं बनाए रखा जा सकता है) 1% प्रति मिनट से तेज नहीं होगा।

4.9 रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिकर

- (क) रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिकर और/या अन्य सुविधाएं एस ई वी/एस टी यू द्वारा प्रदान की जानी चाहिए तथा वितरण अनुज्ञाप्तिधारी यथासंभवशीघ्र निम्न वोल्टता प्रणाली में आईएसटीएस को/से रिएक्टिव ऊर्जा के आवान-प्रदान की आवश्यकता से बचने के लिए भार बिन्दु के निकट की हो तथा विनिर्दिष्ट रेज के भीतर आईएसटीएस वोल्टता को बनाए रखना है।
- (ख) लाइन रिएक्टिवर्स संयोजन करार में उल्लिखित सीमाओं के भीतर वोल्टता पर स्थायी नियंत्रण के लिए प्रदान किए जाएंगे।
- (ग) अभिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त रिएक्टिव कंपनरोशन वर्गान्वयन के लिए संयोजन करार सी टी यू द्वारा उपदर्शित किए जाएंगे।

4.10 आंकड़े तथा संसूचना सुविधा

विश्वसनीय और दक्ष कथन और आंकड़े संसूचना प्रणाली सामान्य तथा प्रसामान्य रूपों के अधीन आवश्यक संसूचना और आंकड़ा आदान-प्रदान, तथा आर एल डी सी द्वारा ग्रिड के पर्यवेक्षण/नियंत्रण को सुकर बनाने के लिए प्रदान की जाएगी। सभी अभिकरण अन्तरापृष्ठ अपेक्षाओं तथा आर एल डी सी/एस एल डी सी को उपलब्ध कराए गए अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर फ्लो, वॉल्टा और स्विचों/ट्रांसफार्मर टैपस आदि टेलीमोटर ऊर्जा प्रणाली पेरामीटर को प्रणालियां प्रदान कराएंगे। यथास्थिति, आर एल डी सी/एस एल डी सी के लिए फ्लोअप आंकड़े सुकर बनाने के लिए सहबद्ध संचार प्रणाली संयोजन करार में सी टी यू द्वारा यथाविनिर्दिष्ट संबंधित अभिकरण द्वारा स्थापित की जाएगी। सभी अभिकरण सी टी यू के समन्वय से अपने-अपने प्रयोजन पर और संयोजन करार में यथाविनिर्दिष्ट आर एल डी सी/एस एल डी सी पर अपेक्षित सुविधाएं प्रदान कराएगा।

4.11 प्रणाली अभिलेखन उपकरण

डाटा अर्जन/बाधा अभिलेखिक्र/लागर/खराकी दूढ़ने वाला (जिसमें समय तुल्यकालन उपकरण भी सम्मिलित है) अभिलेखन आंकड़े प्रणाली के सक्रिय कार्य निष्पादन को अभिलेखित करने के लिए आईएसटीएस में प्रदान किए जाएंगे। अभिकरण तथा समय अनुसूची के अनुसार संयोजन करार में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षित अभिलेखन उपकरण प्रदान कराएंगे।

4.12 प्रचलनात्मक सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व

सी टी यू/पारेषण अनुज्ञापिधारी तथा संबंधित क्षेत्रीय संघटक/अभिकरण प्रत्येक संयोजन विन्दु के लिए स्थल उत्तरदायित्व अनुसूचियों में यथा उपदर्शित सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

(क) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूचियां

- (i) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची सी टी यू/पारेषण अनुज्ञापिधारी तथा अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें परियोजना या संयोजन, जिसमें सुरक्षा उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है, के निष्पादन से पूर्व प्रत्येक की स्वामित्व जिम्मेदारियों के ब्यौरे होंगे।

आईएसटीएस के संयोजन के लिए, अनुसूची सुसंगत संयोजन करार के अनुसरण में सी टी यू/पारेषण अनुज्ञापिधारी द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित संयोजन विन्दु पर संयंत्र तथा साधित्र की प्रत्येक मद होंगी:—

- संयंत्र/साधित्र का स्वामित्व ;
- संयंत्र/साधित्रों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व ;
- संयंत्र/साधित्रों के प्रवालन के लिए उत्तरदायित्व ;

- संयंत्र/साधित्रों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायित्व ;

- किसी व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायित्व ।

(ii) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूचियों को तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले प्ररूप, सिद्धांत तथा मूल प्रक्रिया सी टी यू द्वारा तैयार की जाएगी तथा अनुपालन के लिए प्रत्येक अभिकरण/प्रादेशिक संघटक को प्रदान की जाएगी ।

(iii) आईएसटीएस से जुड़े या जुड़ने वाले सभी अभिकरण उत्पादन केन्द्र या उपकेन्द्र/लाइन जो आईएसटीएस से संयोजित की जा रही हो, के वाणिज्यिक प्रयालन की तारीख से पूर्व एस एल डी सी/आर एल डी री के वास्तविक समय आंकड़े भेजने के लिए आर एल डी सी/एस एल डी सी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आर टी यू तथा अन्य संसूचना उपकरण प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

(ख) एकल लाइन डायग्राम

(i) एकल लाइन डायग्राम संबंधित अभिकरणों द्वारा आर एल डी सी को प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । इन डायग्रामों में सभी एच वी संयोजित उपकरण तथा सभी बाहरी सर्किटों के संयोजन और समामेलित नम्बर, नाम तथा उनका लेबल आदि सम्मिलित होगा । डायग्राम लेआउट और एच वी साधित्रों तथा संबंधित संयंत्रों के सर्किट संयोजनों, रेटिंग, नम्बर तथा नाम का ठीक अभिलेख प्रदान करने के लिए आशयित है ।

(ii) जब कभी किसी उपकरण को परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया जाता है तब संबंधित अभिकरण सी टी यू तथा सभी संबंधितों को आवश्यक परिवर्तनों के बारे में सूचित करेंगे । जब परिवर्तन लागू किए जाते हैं, तब परिवर्तित एकल लाइन डायग्राम अभिकरण द्वारा आर एल डी सी/सी टी यू को परिवालित किए जाएंगे ।

(ग) स्थल सामान्य रेखायित्र

(i) स्थल सामान्य रेखायित्र प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए तैयार किया जाएगा और स्थल लेआउट, दियुत लेआउट, संरक्षण के बौरे तथा सामान्य सेवा रेखायित्र सम्मिलित किया जाएगा । अभिकरणों द्वारा सी टी यू को आवश्यक बौरे प्रदान किया जाएगा ।

- (ii) अधिकरण तथा सी टी यू/पारेषण अनुज्ञापिधारी के भाग के लिए विस्तृत रेखाचित्र व्यष्टिक रूप से तैयार किए जाएंगे और उसकी प्रतियां अन्य पक्षकार को सौंपी जाएंगी ।
- (iii) यदि रेखाचित्र में परिवर्तन आवश्यक पाया जाता है तो यथाशीघ्र और अन्य पक्षकार को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

4.13 स्थल पर पहुंचने की प्रक्रिया, स्थल प्रचालनात्मक क्रियाकलाप तथा रख-रखाव मानक

संयोजन करार में आई एस जी एस/एस ई बी/एस टी यू/अनुज्ञापिधारी परिसरों पर सी टीयू/पारेषण अनुज्ञापिधारी के उपकरण के लिए स्थल पहुंच, स्थल प्रचालनात्मक क्रियाकलाप तथा रख-रखाव मानक के लिए आवश्यक हर प्रक्रिया उपदर्शित होगी ।

4.14 आईएसटीएस के अन्तरराष्ट्रीय संयोजन

आईएसटीएस के अन्तरराष्ट्रीय संयोजन के लिए प्रक्रिया और उसके लिए करार का निष्पादन सी टी यू द्वारा सी ई ए तथा ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से किया जाएगा ।

4.15 क्षेत्रीय ग्रिड की आस्तियों की अनुसूची

सी टी यू वार्षिक रूप से पारेषण आस्तियों की अनुसूची प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक के, वि.वि.आ. को प्रस्तुत करेगी जिसमें रवानित्व उपदर्शित करने वाले उस वर्ष के 31 मार्च को वह क्षेत्रीय ग्रिड सम्मिलित है जिस पर आर एल डी सी का प्रचालनात्मक नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व है ।

उपांग 1

(खंड 45 को निर्दिष्ट करें)

माडल संयोजन करार

(वाद में सम्मिलित किया जाना है)

अध्याय 5

क्षेत्रीय ग्रिडों के लिए परिचालन कोड

1.5 परिचालन नीति

- (क) क्षेत्रीय ग्रिडों की एकीकृत परिचालन के प्रारंभिक उद्देश्य अंतर्संयोजित राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र में फैले संपूर्ण विद्युत ऊर्जा नेटवर्क की पूर्ण प्रचालनात्मक मितव्ययिता तथा विश्वसनीयता को बढ़ाना है। भागीदार उपयोगिता एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तथा क्षेत्रीय ग्रिड के समाधान तथा फायदाप्रद परिचालन के लिए सभी समय अच्छी उपयोगिता पद्धति को स्वीकार करेंगे।
- (ख) क्षेत्रीय ग्रिड के संपूर्ण प्रचालन का पर्यवक्षण क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी) द्वारा किया जाएगा। आर एल डी सी और आर पी सी की भूमिका आई ई जी सी के अध्याय 2 में किए गए उपबंध के अनुसार होगी।
- (ग) सभी क्षेत्रीय संघटक एकीकृत प्रचालन से व्युत्पन्न अधिकतम फायदों तथा बाध्यताओं की समान भागीदारी के लिए परिचालन कोड का अनुपालन करेंगे।
- (घ) प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत आंतरिक परिचालन प्रक्रिया का एक रोट अपने-अपने आर एल डी सी द्वारा क्षेत्रीय संघटकों के परामर्श से विकसित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा तथा इस आई ई जी सी की अपेक्षाओं के अनुपालन में समर्थ बनाने के लिए आई ई जी सी के सुसंगत होगा।
- (ङ) आर एल डी सी, सभी एस एल डी सी, ऊर्जा संयंत्रों, 132 केवी तथा उससे ऊपर के उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष तथा सभी क्षेत्रीय संघटकों के कोई अन्य नियंत्रण केन्द्र में अर्हित तथा पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक कार्य करेंगे।

5.2 प्रणाली सुरक्षा पहलू

- (क) सभी क्षेत्रीय संघटकों का यह प्रयास होगा कि वे सभी समयों पर एक दूसरे के साथ समकालिक घटनाओं में अपनी-अपनी ऊर्जा प्रणाली और ऊर्जा केन्द्रों का ऐसे प्रचालन करेंगे जिससे कि एक समकालिक प्रणाली के रूप में क्षेत्र के भीतर संपूर्ण प्रणाली को परिचालित किया जा सके।
- (ख) ग्रिड का कोई भी भाग क्षेत्रीय ग्रिड के शेष भाग से जानवृक्षकर अलग नहीं किया जाएगा रियाय (i) आपातकालीन या ऐसी दशा में जिरामें ऐसे अलग किए जान से संपूर्ण ग्रिड को रोका जा सकेगा और/या जो ऊर्जा प्रदाय को पहले बनाए रखने के लिए समर्थ हो सकेगा, (ii) जब महंगे उपकरणों की अधिक क्षति सन्निकट हो और अलग किए जाने से इससे बचा जा सके (iii) जब ऐसे अलग किए जाने का अनुप्रेष विशेषकर अर एल डी सी द्वारा दिया गया हो। ग्रिड की संपूर्ण तुल्यकालिकता यथाशीघ्र बनाए रखी जाएगी यदि हालात इसकी अनुगति देते हों।

प्रतिस्थापन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण पृथक् रूप से विनिमित परिवालन प्रक्रियाओं के अनुसार आर एल डी सी द्वारा किया जाएगा।

- (ग) क्षेत्रीय ग्रिड का कोई भी महत्वपूर्ण तत्व किसी भी समय जानबूझकर काम करते समय खोला नहीं जाएगा या हटाया नहीं जाएगा सिवाय इस प्रकार का अनुदेश विनिर्दिष्टः आर एल डी सी द्वारा दिया जाय या आर एल डी सी की विनिर्दिष्ट और पूर्व अनुमति हो। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रिड तत्वों की सूची जिस पर उपरोक्त अनुबद्ध लागू होंगे, आर एल डी सी द्वारा संघटकों के परामर्श से तैयार किए जाएंगे तथा आर एल डी सी/एस एल डी सी में उपलब्ध होंगे। यदि आपातकालीन परिस्थिति में ग्रिड की किसी महत्वपूर्ण तत्वों को खोलना/हटाना आवश्यक है तो इसकी संसूचना तुरंत घटना के पश्चात् आर एल डी सी को दी जाएगी।
- (घ) क्षेत्रीय ग्रिड के उपरोक्त किसी तत्वों की किसी भी प्रकार की ट्रिपिंग चाहे हाथ से हो या स्वचालित हो, की सूचना यथासंभव शीघ्र अर्थात् घटना के एक मिनट के भीतर संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र/अभिकरण द्वारा आर एल डी सी को दी जाएगी। कारण (अवधारित किए जाने तक) तथ प्रतिस्थापन पर लगने के समय की सूचना भी दी जाएगी। तत्वों को यथस्थिति में लाने के लिए यथासंभव शीघ्र सभी युक्तियुक्त प्रयास किए जाएंगे।
- (ङ) सभी उत्पादन यूनिटों, जो ग्रिड के तुल्यकालिक हैं, अपने स्वामित्व, आकार तथा प्रकार को ध्यान में रखे दिना, के पास सभी समय पर सामान्य प्रचालन में अपने गवर्नर होंगे। यदि किसी पचास से ऊपर (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 10 मेगावाट) के किसी उत्पादन यूनिट से सामान्य प्रचालन में अपने गवर्नर के बिना परिचालित किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो आर एल डी सी तत्काल कारण तथा ऐसे प्रचालन की अवधि के बारे में सलाह देगा। सभी गंवनर्स 3% और 6% के बीच में लटके हुए होंगे।
- (घ) भार नियंत्रक स्वचालित टबाईन रनअप प्रणाली (ए टी आर एस), टर्बाईन पर्यवेक्षण नियंत्रण, समन्वित नियंत्रण प्रणाली आदि के भीतर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किसी भी श्रेति के सामान्य गवर्नर कार्रवाई को रोकने में नहीं किया जाएगा। कोई भी खराब बैंड और/या अविलंब जानबूझकर नहीं किया जाएगा।
- (ङ) सभी उत्पादन यूनिटें, जो अपनी अधिकतम निरंतर दर (एम सी आर) के 100% तक प्रचालित की जाती हैं, जब प्रणाली खराब होने के कारण फ्रिक्वेंसी में कमी आती है, पांच प्रतिशत तक अति भार को लगातार वहन करने में सामान्य समर्थ होंगी। और किसी भी रूप में रोकी नहीं जाएगी। ऐसी उत्पादन यूनिटें जो अपनी एम सी आर के 100 % से ऊपर तक परिचालित की जाती हैं, जब फ्रिक्वेंसी अकरमात् कम हो जाती है, अपनी एम सी आर के 105% तक घलने में समर्थ होंगी (और उसरे रोकी नहीं जाएगी) उपरोक्त के अनुसार (उत्पादन में वृद्धि के पश्चात् उत्पादन यूनिटे प्राप्ति मिनट एक प्रतिशत के लगभग की दर पर अपने मूल स्तर पर वापस कार्य करेगी। यदि बढ़ाए गए स्तर पर निरंतर प्रवालन कायम नहीं रहता है। उपरोक्त अपेक्षाओं का पालन न करने वाला पदास मेगावाट आकार की कोई भी उत्पादन यूनिट आर एल डी सी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही (क्षेत्रीय ग्रिड के राम्रां लिंक) परिवालन में रहेगा। तथापि, संघटक के अन्य उत्पादन यूनिटों पर अपरिवर्ती स्थिरनिग रिजर्व को बनाए रख करके स्थिरनिग रिजर्व में संरक्षणी कर सकते हैं।

- (ज) गवर्नर सेटिंग अर्थात् सभी उत्पादन यूनिटों के लिए आउटपुट में वृद्धि या कमी करने के लिए अनुपूरक नियंत्रण अपने प्रकार या आकार को ध्यान में रखे बिना चार्जिंग के लिए तय दर प्रति मिनट एक प्रतिशत या विनिर्माता की सीमाओं के अनुसार होती है। तथापि, फ्रिक्वेंसी 49.5 एच ज्येड से कम होती है, जो सभी लागत भारित उत्पादन यूनिटें अपनी क्षमता के अनुसार तीव्र दर पर अतिरिक्त भार को उठाएंगी।
- (झ) आपातकालीन या महंगे उपस्कर की नुकसानी को रोकने के सिवाय, कोई भी संघटक आर एल डी सी को पूर्व सूचना दिए बिना या उसकी सहमति के बिना एक सौ से अधिक (100) मेगावाट (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 20 मेगावाट) तक अपनी उत्पादन यूनिट आउटपुट में अचानक कमी नहीं करेगा विशेषकर जब फ्रिक्वेंसी कम हो रही हो या 49.0 एच ज्येड से कम हो। इसी प्रकार कोई भी संघटक आर एल डी सी को पूर्व सूचना दिए बिना या उसकी सहमति के बिना एक सौ से अधिक (100) मेगावाट (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 20 मेगावाट) तक अपने भार में अचानक कमी नहीं करेगा।
- (ञ) सभी उत्पादन केन्द्रों के पास समुचित सेटिंग के साथ प्रचालन में स्वचालित वोल्टता रेग्युलेटर होंगे। विशेषकर यदि 50 मेगावाट (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की दशा में 10 मेगावाट) से अधिक की उत्पादन यूनिटों से सेवा में अपनी ए वी आर के बिना प्रचालित किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो आर एल डी सी को कारण तथा अवधि के बारे में तत्काल सूचना दी जाएगी और उसकी अनुमति प्राप्त की जाएगी। उत्पादन यूनिटों के ए वी आर में ऊर्जा प्रणाली स्थायीकारी (पी एस एस) (जब प्रदान किया जाता है) समय-समय पर सी टी यू द्वारा उस प्रयोजन के लिए तैयार की गई योजना के अनुसार अपने अपने उत्पादन यूनिट स्थायी द्वारा पर्याप्त रूप से प्राप्त किया जाएगा। सी टी यू पी एस की जांच करने की अनुमति देगा तथा और जब कभी आवश्यक समझा जाए उसकी टचूनिंग करेगा।
- (ट) संरक्षण के उपबंध तथा रिले सेटिंग का समन्वय आर पी सी की संरक्षण समिति द्वारा पृथक् रूप से अंतिम रूप से दी जाने वाली योजना के अनुसार संपूर्ण क्षेत्रीय प्रिड में आवधिक रूप से किया जाएगा।
- (ठ) सभी क्षेत्रीय संघटक यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि ग्रिड फ्रिक्वेंसी हमेशा 49.0-50.5 एच ज्येड बैंड के भीतर रहती है और फ्रिक्वेंसी रेज, ऐसी होगी आई ई सी विनिर्देशों की पुष्टि करने वाले स्टीम टर्बाइन को निरंतर सुरक्षित प्रचालित किया जा सके।
- (ड) सभी प्रादेशिक संघटक फ्रिक्वेंसी में कमी को रोकने के लिए अपनी-अपनी प्रणालियों में स्वचालित फ्रिक्वेंसी प्रदान करेंगे और लोड शेडिंग करेंगे जिससे संबंधित आर पी सी फोरम द्वारा पृथक् रूप से तैयार की गई योजना के अनुसार प्रिड के फेल/अएकीकृत न हो सकेगा तथा किसी आपातकालीन दशा में उत्पादन यूनिटों के प्रपाती ट्रिपिंग को रोकने के लिए इसका प्रभावी उपयोजन सुनिश्चित होगा। सभी क्षेत्रीय संघटक यह सुनिश्चित करेंगे कि फ्रिक्वेंसी से अधिक तथा डी एफ/डी टी लोड शेडिंग/आइसलैंडिंग स्कीमें हमेशा कृत्यकारी होते हैं। तथापि, नितांत आकस्मिकता की दशा में, ये रिले आर एल डी सी की पूर्व सहमति से सेवा से अस्थायी रूप से अलग रखे जा सकेंगे। आर एल डी सी इन दृष्टांतों के बारे में आर

पी सी सचिवालय को तब सूचित करेगा जब वास्तविक समय प्रचालन में इन रिले के माध्यम से वांछित भार रहित अभिप्राप्त नहीं की जाती है।

आर पी सी सचिवालय फ़िकरेंसी रिले के अंतर्गत आवधिक निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण का पर्याप्त अभिलेख बनाए रखेगा।

- (द) सभी क्षेत्रीय संघटक वोल्टता अवानक कम होने और प्रपाती जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए ऊर्जा प्रणाली में प्रणाली सुरक्षण स्कीम (जिसमें अंतर द्विपिंग तथा रन बैंक भी सम्मिलित है) की पहचान को सुकर बनाएंगे उसका संस्थापन करेंगे तथा उन्हें लगाएंगे। ऐसी स्कीमों को संबंधित आर पी सी मंच द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और उन्हें चालू रखा जाएगा। यदि इनमें से कोई काम नहीं करता है तो आर एल डी सी को तुरंत सूचित किया जाएगा।
- (ए) ग्रिड के भागतः/पूर्णतः फेल होने से उबरने के लिए प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हें खंड 5.8 के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार आवधिक रूप से अद्यतन रखा जाएगा। इन प्रक्रियाओं का सुसंगत, विश्वसनीय तथा शीघ्र मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय संघटकों द्वारा अनुसरण किया जाएगा।
- (व) प्रत्येक क्षेत्रीय संघटक ग्रिड की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक डाटा/जानकारी के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक रूप से और अन्य संघटकों/आर एल डी सी के साथ पर्याप्त तथा विश्वसनीय संसूचना सुविधा प्रदान करेंगे। जब कभी संभव हो, निर्खर्तक तथा वैकल्पिक रास्ता महत्वपूर्ण रास्तों, अर्थात् एस एल डी सी से आर एल डी सी तक के साथ संसूचना बनाए रखी जाएगी।
- (य) क्षेत्रीय संघटक किसी ग्रिड बाधा/घटना के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए आर एल डी सी को सूचना/आंकड़े जिसमें बाधा अभिलेखन/पारिणामिक घटना अभिलिखित आउटपुट आदि भी सम्मिलित हैं, भेजेंगे। क्षेत्रीय संघटक ग्रिड की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को बनाए रखने तथा घटना का विश्लेषण करने के लिए आर एल डी सी द्वारा अपेक्षित किसी आंकड़ों/जानकारी को नहीं रोकेगा।
- (द) सभी क्षेत्रीय संघटक यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि ग्रिड वोल्टता हमेशा निम्नलिखित प्रचालन रेज के भीतर रहे

वोल्टता --(केवी आर एम एस)

सामान्य	अधिकतम	न्यूनतम
400	420	360
220	245	200
132	145	120

5.3 प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए मांग प्राक्कलन

5.3.1 प्रस्तावना

- (क) यह खंड एकिट्व ऊर्जा तथा रिएक्टिव ऊर्जा के लिए मांग प्राक्कलन हेतु एस एल डी सी की प्रक्रियाओं/उत्तरदायित्वों को विहित करता है।
- (ख) मांग प्राक्कलन चालू वर्ष के लिए दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर किया जाना होता है।
- (ग) प्रत्येक एस एल डी सी समय-समय पर ऐतिहासिक आंकड़े तथा भौसम संबंधी भविष्यवाणी से अपनी रवर्यं की मांग बनाए रखेगा।
- (घ) जब प्रारंभिक रूप से दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए मांग प्राक्कलन किया जाना होता है तब एस एल डी सी पर तंत्र तथा सुविधाएं दैनिक प्रचालनात्मक उपयोग के लिए आन-लाइन प्राक्कलन को सुकर बनाने के लिए यथाशीघ्र प्रदान की जाएंगी।

5.3.2 उद्देश्य

- (क) इस प्रक्रिया का उद्देश्य एस एल डी सी को विशिष्ट अवधि पर अपनी प्राक्कलन मांग के लिए समर्थ बनाना है।
- (ख) मांग प्राक्कलन प्रचालनात्मक योजना प्रयोजनों के लिए, प्रणाली अध्ययन, करने में एस एल डी सी को समर्थ बनाते हैं।

5.3.3 प्रक्रिया

प्रत्येक राज्य/एस एल डी सी प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए दैनिक/साप्ताहिक/सिक/वार्षिक मांग प्राक्कलन (एम डब्ल्यू एम वी ए आर और एम डब्ल्यू एच) के लिए पद्धतियां/तंत्र विकरित करेगा। प्राक्कलन के लिए आंकड़ों में लोड शेडिंग, पावर-कट आदि सम्मिलित हैं। एस एल डी सी मांग प्राक्कलन के लिए ऐतिहासिक डाटाबेस को भी बनाए रखेंगे।

5.4 मांग प्रवंधन

5.4.1 प्रस्तावना

यह खंड अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की दशा में और बाहरी अंतर संयोजकों से ऐसे अंतरण जो मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हों या ग्रिड के किसी भाग पर ब्रेकडाउन या प्रवालन संबंधी समस्याओं (जैसे फ्रिक्वेंसी, वोल्टता रसर या थर्मल अधिकतम भार) की दशा में मांग की कटौती को प्रभावी करने के लिए एस एल डी सी द्वारा किए जाने वाले उपर्योग से संबंधित है।

5.4.2 मैनुअल मांग विसंयोजन

- (क) जैसा अन्यत्र उल्लिखित है, संघटक जब कभी प्रणाली फ्रिक्वेंसी 49.5 एवं ज्येड से कम हो, अपनी-अपनी निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से अपनी कुल निकासी को निर्बंधित करने को प्रयास करेंगे। जब फ्रिक्वेंसी 49.0 एवं ज्येड से कम हो जाती है तब अधिक निकासी में कमी करने के लिए संबंधित राज्य में अपेक्षित लोड शेडिंग की जाएगी।
- (ख) इसके अतिरिक्त, कतिपय आकस्मिकताओं और/या प्रणाली की सुरक्षा को धमकी की दशा में, आर एल डी सी कतिपय मात्रा तक निकासी में कमी करने के लिए एस एल डी सी को निर्देश देगी।
- (ग) प्रत्येक क्षेत्रीय संघटक ऐसी व्यवस्था करेंगे जो सामान्य और/या आकस्मिक परिस्थिति के अधीन आर एल डी सी/एस एल डी सी द्वारा यथा अनुदेशित मैनुअल विसंयोजन मांग करने में समर्थ होगी।
- (घ) जब तक आर एल डी सी द्वारा अन्यथा विशेषकर अनुज्ञात न किया जाए, निम्न स्तर पर फ्रिक्वेंसी/वोल्टता को बनाए रखने के लिए प्रत्याहत नहीं किए जाएंगे।

5.5 आवधिक रिपोर्ट

- 5.5.1 क्षेत्र के सभी संघटकों और आर पी सी सचिवालय के लिए आर एल डी सी द्वारा साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की जाएगी और उसमें पूर्व सप्ताह के लिए क्षेत्रीय ग्रिड का कार्य निष्पादन समिलित होगा। ऐसी साप्ताहिक रिपोर्ट कम से कम 12 सप्ताह के लिए संबंधित आर एल डी सी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

साप्ताहिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे :--

- (क) फ्रिक्वेंसी प्रोफाइल
- (ख) चयनित उपकेन्द्रों की वोल्टता प्रोफाइल
- (ग) प्रमुख उत्पादन तथा पारेषण आउटेज
- (घ) पारेषण अवरोध
- (ङ) आई ई जी सी का लगातार/सार्थक अनुपालन का उल्लेख।

5.5.2 अन्य रिपोर्ट

- (क) आर एल डी सी तिमाही रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रणाली अवरोध, सुरक्षा मानकों की अपेक्षाओं, यदि कोई हो, का पूरा करने के कारण, तथा सेवा की क्वालिटी विभिन्न अभिकरणों द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाईयों और अवरोधों को पैदा करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण के ब्यौरे समिलित होंगे।
- (ख) आर एल डी सी सूचना/रिपोर्ट भी प्रवान करेगी जो आई एस टी एस के सुचारु प्रधालन के हित में आर पी सी द्वारा मांगी जा सकती है।

5.6 परिचालन संपर्क

5.6.1 प्रस्तावना

(क) यह खंड संपूर्ण ग्रिड पर प्रचालने तथा/या घटनाओं के संबंध में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए अपेक्षाओं का उल्लेख करता है जिसका निम्नलिखित पर प्रभाव होगा

1. क्षेत्रीय ग्रिड
2. क्षेत्र में आई एस टी एस
3. क्षेत्रीय संघटक की प्रणाली

उपरोक्त साधारणतः उस बात को अधिसूचित करने से संबंधित है कि क्या होने की आशा है या क्या हो गया है तथा उसके क्या कारण हैं।

(ख) परिचालन कर्मचारिवृद्ध को सूचना का शीघ्र अंतरण सुकर बनाने के लिए प्रचालनात्मक संपर्क कृत्य आर एल डी सी और क्षेत्रीय संघटकों का आज्ञापक विल्ट इन श्रेणीबद्ध कृत्य है। यह विनिश्चय करने की आशा और कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित इनपुट से संबंधित होगा।

5.6.2 परिचालनात्मक संपर्क के लिए प्रक्रिया

(क) क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन तथा घटनाएं

क्षेत्रीय ग्रिड पर कोई प्रचालन किए जाने से पूर्व, आर एल डी सी ऐसे प्रत्येक क्षेत्रीय संघटक को सूचित करेगा जिसकी प्रणाली में प्रचलनात्मक प्रभाव पड़ सकेगा या पड़ेगा और किए जाने वाले प्रचालन का ब्यौरा देगा।

क्षेत्रीय ग्रिड पर शीघ्र घटना के बाद आर एल डी सी प्रत्येक क्षेत्रीय ऐसे संघटक को सूचित करेगा जिसकी प्रणाली घटना से प्रभावित हुई हो और उस घटना का ब्यौरा देगा जो हुई हो।

(ख) संघटकों की प्रणाली पर प्रवालन और घटनाएं।

संघटकों की प्रणाली पर कोई प्रवालन किए जाने से पूर्व संघटक आर एल डी सी को सूचित करेगा यदि क्षेत्रीय ग्रिड के प्रवालन पर प्रभाव पड़ा हो या पड़ेगा और किए जाने वाले प्रवालन के ब्यौरे देगा।

संघटक की प्रणाली पर हुई घटना के ठीक बाद संघटक आर एल डी सी को सूचित करेगा यदि क्षेत्रीय ग्रिड के प्रवालन पर आगामी घटना से प्रभाव पड़ा हो या प्रभाव पड़ेगा।

5.7 आउटेज योजना

5.7.1 प्रस्तावना

- (क) यह खंड क्षेत्रीय प्रणाली प्रचालन शर्तों और अधिशेष उत्पादन और मांग को ध्यान में रखते हुए समन्वित और सुनियोजित रीति में क्षेत्रीय ग्रिड के तत्वों के लिए आउटेज सूचियों की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। (उनमें अनुबंधों के अधीन सम्मिलित ग्रिड के तत्वों की सूची तैयार की जाएगी और आर एल डी सी और एस एल डी सी के पास उपलब्ध होगी।
- (ख) उत्पादन आउटपुट और पारेषण प्रणाली सुरक्षा मानकों की पूर्ति के लिए आउटेज को ध्यान में रखने के पश्चात् पर्याप्त होनी चाहिए।
- (ग) आर पी सी संविवालय द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए पहले ही वार्षिक आउटेज योजना तैयार की जाएगी और तिमाही और मासिक आधार पर उसका पूनर्विलोकन किया जाएगा।

5.7.2 उद्देश्य

- (क) सभी उपलब्ध संसाधनों पर विचार करते हुए और पारेषण अवरोधों तथा रिचार्च अपेक्षाओं का ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रिड के लिए समन्वित उत्पादन आउटेज कार्यक्रम प्रस्तुत करना।
- (ख) ऊर्जा और विद्युत की प्रणाली अपेक्षाओं में अधिशेष या कमियों को कम करना और सुरक्षा मानकों के भीतर प्रणाली का प्रचालन करने में सहायता करना।
- (ग) ग्रिड प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु उत्पादन आउटेज अनुसूची एस ई वी/एस टी यू प्रणालियों तथा अनुक्षण प्रणाली सुरक्षा मानक को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रिड के तत्वों के पारेषण आउटेजों को सुनिश्चित करना।

5.7.3 विस्तार

यह खंड सभी क्षेत्रीय संघटकों जिसमें आर एल डी सी, एस एल डी सी, एस ई वी/एस टी यू, आई एस जी एस तथा सी टी यू भी सम्मिलित हैं को लागू होता है।

5.7.4 आउटेज योजना प्रक्रिया

- (क) आर डी सी संविवालय सभी क्षेत्रीय संघटकों द्वारा दी गई आउटेज अनुसूची का विश्लेषण करने, प्रारूप वार्षिक आउटेज अनुसूची तैयार करने और प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी तक आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक आउटेज योजना को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ख) सभी एस ई वी/एस टी यू, सी टी यू, आई एस जी एस अपना प्रस्तावित आउटेज कार्यक्रम लिखित में प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए आर पी सी संविवालय को प्रदान करेगे। इनमें प्रत्येक उत्पादन यूनिट/लाइन, आई सी टी की पहचान, प्रत्येक आउटेज की अधिमानित तारीख और उसकी अवधि अंतर्घित होनी तथा ज़िले नम्बर हो, प्रारूप करने की पूर्वतम तारीख और पूरा करने की अंतिम तारीख भी सम्मिलित होगी।

- (ग) आर पी सी संविवालय सुनियोजित शीति से उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथ सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय ग्रिड के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक अगले वित्तीय वर्ष का प्रारूप आउटेज कार्यक्रम जारी करेगा। आवश्यक प्रणाली अध्ययन को कार्यान्वयित करने के पश्चात् किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, आउटेज कार्यक्रमों का पुनःअनुसूची-करण किया जाएगा। आउटेज कार्यक्रमों को तैयार करते समय उत्पादन तथा भार अपेक्षा के बीच अतिरेष संतुलन को सुनिश्चित किया जाएगा।
- (घ) अंतिम आउटेज योजना जैसा आर पी सी फोरम में परस्पर विनिश्चित किया गया है प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी तक कार्यान्वयित करने के लिए सभी क्षेत्रीय संघटकों तथा आर एल डी सी को सूचित किया जाएगा।
- (ङ) उपरोक्त आउटेज योजना का आर पी सी संविवालय द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों के समन्वय से तिमाही तथा मासिक आधार पर पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा जब कभी समायोजन आवश्यक समझे जाएं, किए जाएंगे।
- (च) प्रणाली में आपातकालीन जैसे उत्पादन को हानि, प्रणाली को प्रभावित करने वाली पारेषण लाइन का ब्रेकडाउन, ग्रिड बाधा, प्रणाली वियोजन की दशा में आर एल डी सी योजना आउटेज के अंतर-स्थान से पहले पुनःअध्ययन कर सकेगा।
- (छ) कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित में से किसी एक की दशा में योजनाबद्ध आउटेज को आस्थगित करने के लिए आर एल डी सी प्राधिकृत है :
- (i) प्रमुख ग्रिड बाधा (क्षेत्र में पूरी तरह बंद)
 - (ii) प्रणाली वियोजन
 - (iii) रांघटक राज्य में पूरी तरह गुल हो जाना
 - (iv) प्रणाली में कोई अन्य घटना जिससे प्रस्तावित आउटेज द्वारा सुरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकेगा।
- (ज) विरत्त उत्पादन तथा पारेषण आउटेज कार्यक्रम नवीनीकरण आउटेज योजना (तारीख तक किए गए सभी समायोजनों के साथ) के आधार पर होंगे।
- (झ) प्रत्येक क्षेत्रीय संघटक आउटेज को प्राप्त करने से पूर्व आर एल डी सी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करेगा।

5.8 वसूली प्रक्रियाएं

- (क) आंशिक/पूरी तरह बंद हो जाने पर क्षेत्रीय ग्रिड को बनाए रखने के लिए विरत्त योजना तथा प्रक्रिया आर एल डी सी द्वारा सभी क्षेत्रीय संघटकों/आर पी सी संविवालय के परामर्श से विकासित की जाएगी तथा वार्षिक ₹५ से उनका पुनर्विलोकन किया जाएगा/उनको अद्यतन किया जाएगा।
- (ख) क्षेत्र के भीतर प्रत्येक रांघटकों की प्रणाली के आंशिक/पूर्ण रूप से बंद हो जाने के पश्चात् प्रतिरक्षापन के लिए विरत्त योजना तथा प्रक्रियाओं को आर एल डी सी के समन्वय से संबंधित संघटक द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रक्रिया का

प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन, पुष्टि और/या पुनरीक्षण किया जाएगा। विभिन्न उपप्रणाली के लिए प्रक्रिया को आर एल डी सी को सूचित करते हुए कम से कम प्रत्येक छह मास में एक बार संघटकों द्वारा चलाया जाएगा।

- (ग) ब्लैक स्टार्ट सुविधा, अंतर्राज्यिक/अंतर-क्षेत्रीय से संबंधित, तुल्यकालिक रथान तथा पूर्विकता पर प्रतिरक्षापित किए जाने वाले आवश्यक प्रभार के साथ उत्पादन केन्द्रों की सूची तैयार की जाएगी तथा आर एल डी सी के पास उपलब्ध होगी।
- (घ) आर एल डी सी वोल्टता तथा फ्रिक्वेंसी के लिए घटे हुए सुख्खा मानकों के साथ प्रवालन करने के लिए ब्लैक आउट का अनुसरण करने वाली प्रतिरक्षापन प्रक्रिया के लिए प्राधिकृत है जैसा ग्रिड की शीघ्रतम संभव वसूली को पूर्ति के लिए आदेश में आवश्यक हो।
- (ङ) प्रतिरक्षापन प्रक्रिया के लिए अपेक्षित सभी संसूचना चैनलों का उपयोग जब तक ग्रिड सामान्य रूप से वालू नहीं हो जाता है, केवल प्रवालनात्मक संसूचना के लिए किया जाएगा।

5.9 घटना की जानकारी

5.9.1 प्रस्तावना

यह खंड सभी क्षेत्रीय संघटकों, आर पी सी सचिवालय तथा आर एल डी सी/एस एल डी सी को प्रणाली में रिपोर्ट योग्य घटनाओं की लिखित में रिपोर्टिंग प्रक्रिया से संबंधित है।

5.9.2 उद्देश्य

इस खंड का उद्देश्य रिपोर्ट किए जाने वाली दुर्घटनाओं, अनुसरण किए जाने वाली रिपोर्टिंग और दुर्घटना/घटनाओं की रिपोर्टिंग के अभिगम से सुसंगत सुनिश्चित करने के लिए प्रवद्य की जाने वाली जानकारी को परिमाणित करना है।

5.9.3 विस्तार

इस खंड में सभी क्षेत्रीय संघटकों, आर पी सी सचिवालय, आर एल डी सी और एस एल डी सी सम्मिलित हैं।

5.9.4 उत्तरदायित्व

- (क) आर एल डी सी/एस एल डी सी क्षेत्रीय संघटकों/आर एल डी सी/ आर पी सी सचिवालय को घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए उत्तरदायी है।
- (ख) सभी क्षेत्रीय संघटक और एस एल डी सी मानीटरिंग, रिपोर्टिंग तथा घटना प्रिलेषण के लिए आर एल डी सी तथा आर पी सी सचिवालय को सभी आवश्यक आकड़ों को एकत्रित करने तथा उनकी रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी है।

5.9.5 रिपोर्ट योग्य घटनाएं

आर एल डी सी/क्षेत्रीय संघटक से रिपोर्टिंग करने के लिए निम्नलिखित कोई एक घटना की अपेक्षा की जाती है :--

- (i) सुरक्षा मानकों का अतिलंघन
- (ii) ग्रिड अनुशासन
- (iii) आर एल डी सी के अनुदेशों का अनुपालन
- (iv) प्रणाली आईएडीजी/प्रणाली विचारिंग
- (v) क्षेत्रीय ब्लैक आउट/आंशिक रूप से प्रणाली का बंद हो जाने
- (vi) आई एस टी एस के किसी तत्व पर आवश्यक संरक्षण और अंतराज्यिक प्रणाली की “तय सूची” के संबंध में किसी मद पर
- (vii) ऊर्जा प्रणाली अस्थिरता
- (viii) क्षेत्रीय ग्रिड के किसी तत्व के द्विप होने पर।

5.9.6 रिपोर्टिंग प्रक्रिया

(क) क्षेत्रीय संघटकों द्वारा आर एल डी सी को घटना की लिखित रिपोर्टिंग

किसी ऐसी घटना की दशा में, जिसकी मौखिक रूप से आर एल डी सी द्वारा संघटक/ एस एल डी सी को प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट की गई थी, आर एल डी सी इस खंड के अनुसार संघटक/एस एल डी सी को लिखित में साप्ताहिक रिपोर्ट देगा।

(ख) क्षेत्रीय संघटकों को आर एल डी सी द्वारा घटना की लिखित रिपोर्टिंग :

किसी ऐसी घटना की दशा में, जिसकी आरंभिक रिपोर्ट मौखिक रूप से आर एल डी सी द्वारा संघटक/एस एल डी सी को गई थी, आर एल डी सी इस खंड के अनुसार संघटक/एस एल डी सी को लिखित में साप्ताहिक रिपोर्ट देगी।

(ग) लिखित रिपोर्टों का प्ररूप

लिखित रिपोर्ट, यथास्थिति, आर एल डी सी या क्षेत्रीय संघटक/ एस एल डी सी को दी जाएगी और घटना के निम्नलिखित व्यौरों के साथ मौखिक अधिसूचना की पुष्टि की जाएगी :

- (i) घटना का समय तथा तारीख
- (ii) अवस्थान
- (iii) प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित संयंत्र और/या उपकरण
- (iv) घटना का विवरण तथा कारण

- (v) पूर्व दशा
- (vi) मांग और/या बाधित उत्पादन (मेगावाट से) में बाधित अवधि
- (vii) सभी सुसंगत प्रणाली आंकड़े जिसमें बाधा अभिलिखित, घटना लागत, डी ए एस आदि सहित सभी अभिलेख करने वाले उपकरणों के अभिलेखों की प्रतियां भी सम्मिलित हैं।
- (viii) समय पर ट्रिप होने के अनकम
- (ix) रिलै पल्टों के बौरे।
- (x) उपचारात्मक उपाय।

अध्याय 6

अनुसूची तथा प्रेषण कोड

6.1 प्रस्तावना

इस अध्यायाय में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है :--

- (क) अनुसूची और प्रेषण करने में विभिन्न क्षेत्रीय संघटकों तथा आर एल डी सी के बीच उत्तरदायित्वों का निर्धारण।
- (ख) अनुसूची तथा प्रेषण करने के लिए प्रक्रिया
- (ग) रिएक्टिव ऊर्जा तथा वोल्टता नियंत्रण तंत्र
- (घ) अनुपूरक वाणिज्यिक तंत्र (उपांध 1 में)।

6.2 उद्देश्य

यह कोड अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों (आई एस जी एस) का अनुसूचीकरण करने तथा रांचित संघटकों की कुल निकासी के लिए आई एस जी एस/आर एल डी सी/ अंग के फायदाग्राहियों के बीच जानकारी देने की पद्धति के साथ दैनिक आधार पर रवीकार की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। प्रत्येक आई एस जी एस द्वारा क्षमता घोषित करने तथा प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा निकासी अनुसूची को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आर एल डी सी को इस बात के लिए समर्थ बनाने के लिए आशंकित है कि वह प्रत्येक आई एस पी एस के लिए प्रेषण अनुसूची तथा प्रत्येक फायदाग्राही की निकासी अनुसूची के लिए तैयार करे। यह अनुरूपियों से फेरफार करने के लिए वाणिज्यिक व्यवस्थाओं तथा रिएक्टिव ऊर्जा कीमत के लिए तंत्र के साथ-साथ आई एस जी एस तथा फायदाग्राहियों को वास्तविक समय प्रेषण/निकासी अनुरूप तथा पुन सूचीकरण, यादि अपेक्षित हो, जारी करने की पद्धति का भी उपांध करता है। इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपांध विद्युत अधिनियम, 2003 की

धारा 28 तथा धारा 29 के अधीन आर एल डी सी को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिना है।

6.3 विस्तार

यह कोड आर एल डी सी/एस एल डी सी, आई एस जी एस, एस ई बी/एस टी यू तथा क्षेत्रीय ग्रिड के अन्य फायदाग्रहियों को लागू होगा।

भारतीय व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा बीबीएमबी के परामर्श से पृथक् रूप से तैयार की जाएगी।

इसी प्रकार, सरदार सरोवर परियोजना (एस एस पी) के उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि0/नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के परामर्श से पृथक् रूप से तैयार की जाएगी।

6.4 उत्तरदायित्वों का विभाजन

1. क्षेत्रीय ग्रिड लूज ऊर्जा पूल्स (विकेन्द्रीकरण तथा प्रेषण) के रूप में परिवालित किया जाएगा जिसमें राज्यों को पूर्ण प्रवालनात्मक स्वायत्तता होगी और एस एल डी सी के पास (i) अपने स्वयं के उत्पादन का अनुसूचीकरण/प्रेषण करने (जिसमें उनके सन्निहित अनुज्ञापिधारी का उत्पादन भी सम्मिलित है), (ii) अपने ग्राहकों की मांग को विनियमित करने ; (iii) आई एस जी एस की अपनी निकासी का अनुसूचीकरण करने (अपने-अपने संघट्रों की अनुमानित क्षमता में उनके अंश के भीतर) ; (iv) किसी द्विपक्षीय अंतर विनियम की व्यवस्था करने, और (v) निम्नलिखित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रिड से अपनी कुल निकासी को विनियमित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
2. प्रत्येक राज्य की प्रणाली सैद्धांतिक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में समझी तथा प्रचालित की जाएगी। आई एस जी एस से अनुसूचित निकासी के बीजीय संकलन तथा किसी द्विपक्षीय अंतर-विनियम प्रत्येक राज्य की निकसी अनुसूची को प्रदान करेगा तथा इसे दैनिक आधार पर अग्रिम में अवधारीत किया जाएगा। जबकि राज्यों से साधारणतः अपने उत्पादन और/या ग्राहकों को विनियमित करने की आशा की जाएगी जिससे कि उपरोक्त अनुसूची के निकट क्षेत्रीय ग्रिड से उनकी वार्ताविक निकासी को बनाए रखा जा सके तथा कठोर नियंत्रण आज्ञापक नहीं है। राज्य अपने स्वयंवेक से, निकसी अनुसूची से विचलित हो सकते हैं तथा विचलन अनुज्ञेय सीमा से परे विकृत हो जाने के लिए प्रणाली पैरामीटरों के लिए कारण नहीं बनता है और/या अस्वीकार्य लाइन लॉडिंग को प्रेरित नहीं करता है।
3. उपरोक्त लघीलेपन का इस तथ्य की वृद्धि से प्रस्ताव किया गया है कि सभी राज्यों के पास क्षेत्रीय ग्रिड से वार्ताविक कुल निकासी को मिनट प्रति मिनट आन लाइन विनियमित करने के लिए सभी अपेक्षित सुधिधाएं नहीं हैं। तथापि, कुल निकसी अनुसूची से विचलन को अनुसूचित अंतरविनियम (यू आई) तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रूप से कीमत तय की जानी है।
4. परंतु यह कि राज्य अपने एस एल डी सी के माध्यम से अपनी-अपनी निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से उनकी कुल निकासी को निर्बंधित करने का हमेशा

प्रयास करेंगे जब कभी प्रणाली की फ्रिक्वेंसी 49.5 एच ज्यैड से निम्न हो जाती है। जब फ्रिक्वेंसी 49.0 एच ज्यैड से नीचे हो जाती है तब अधिक निकासी में कमी करने के लिए संबंधित राज्यों में अपेक्षित लोड शेडिंग की जाएगी।

5. ऐस एल डी सी/एस टी यू अपने अपने राज्यों के लिए अग्रिम में योजना के लिए उनको समर्थ बनाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक मांग प्राप्तकलन के बारे में हमेशा ऐसे आवश्यक प्रयोग करेगा कि वे कैसे ग्रिड से अधिक निकासी किए बिना अपने ग्राहक के भार को कैसे पूरा करेंगे।
6. आई ऐस जी एस, एल डी सी से प्राप्त अध्यपेक्षा के आधार पर आर एल डी सी द्वारा उनको दी गई दैनिक अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा उत्पादन तथा अपने उत्पादन केन्द्रों के पर्याप्त प्रचालन तथा रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा जिससे कि ये केन्द्र बेहतर संभव दीर्घकालिक उपलब्धता और मितव्ययिता की पूर्ति कर सके।
7. जबकि आई ऐस जी एस से समान्य रूप से यह आशा की जाएगी कि वे उनको दी गई दैनिक सलाह अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा का उत्पादन करें तथा कड़ाई से अनुसूचियों का पालन करना आवश्यक नहीं है। राज्यों को अनुज्ञात छूट के आधार पर, आई ऐस जी एस संयंत्र तथा प्रणाली के हालात पर निर्भर करते हुए दी गई अनुसूचियों से भी विचलन कर सकेंगा। विशेषकर वे अभाव की दशा में भी दी गई अनुसूची से परे उत्पादन करने के लिए अनुज्ञात होंगे/प्रोत्साहित करेंगे। तथापि, एक्स-ऊर्जा संयंत्र उत्पादन अनुसूचियों से विचलन की कीमत यू आई तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रूप से तय की जाएगी।
8. परंतु यह कि जब फ्रिक्वेंसी 50.5 ज्यैड एच से अधिक है तो वार्तविक कुल इंजेक्शन उस समय के लिए अनुसूचित प्रेषण से अधिक नहीं होगा और जब फ्रिक्वेंसी 50.5 एच ज्यैड है तब आई ऐस जी एस (अपने स्वविवेक से) बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी को निर्बंधित करने के लिए आर एल डी सी से सलाह का इंतजार किए बिना फ्रिक्वेंसी का कम कर सकेंगा। जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच ज्यैड से कम होती है तो सभी आई ऐस जी एस पर (व्यस्ततम लंबूटी करने वालों के सिवाय) उत्पादन को उस स्तर पर बढ़ाया जाएगा जिस स्तर तक वह आर एल डी सी से सलाह किए बिना कायम रख सकता है।
9. तथापि, उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, आर एल डी सी आकर्षितकता अर्थात लाइन/द्रासंफार्मर की अधिक लोडिंग, असामान्य वॉल्टता प्रणाली सुरक्षा को धमकी की तर्जा में ऐस एल डी सी/ आई ऐस जी एस को अपनी निकारी/उत्पादन में वृद्धि करने/ कमी करने का निर्देश दे सकेंगा। ऐसे निर्देशों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। यदि रिथेति पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है और आर एल डी सी के पास विश्लेषण करने के लिए कुछ समय है जो वह इस बात की जांच करेगा कि क्या ऐसी स्थिति अनुसूचियों से विचलन के कारण उत्पन्न वृद्धि या अल्पकालिक खुली पहुंच की अनुसरण में किसी ऊर्जा के प्रयाह के कारण उत्पन्न हुई है। कोई ऐसी कार्रवाई करने से पूर्ण उपरोक्त अनुक्रम में फलते रहे दूर किया जाएगा जिससे प्रारंभिक रूप से दीर्घकालिक ग्राहकों को आई ऐस रो अनुसूचित प्रवाय प्रभावित होगा।

10. ऐसे उत्पादन तथा परेशण प्रणाली के सभी आउटपुटों के लिए, जिनसे क्षेत्रीय प्रिड पर प्रभाव पड़ेगा, सभी संघटक एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे तथा आर एल डी सी (सभी अन्य मामलों में) के माध्यम से अग्रिम में पर्याप्त रूप से पूर्वकल्पित आउटेज के लिए तथा ओ सी सी द्वारा पृथक् रूप से तैयार प्रक्रियाओं के अनुसार प्रचालनात्मक समन्वय समिति (ओ सी सी) के माध्यम से समन्वय करेगा। विशेषकर, आई एस जी एस उत्पादन और/या आई एस जी एस अंश के निर्बंधन, जो फायदाग्राही पर लगाए जा सकते हैं (और जो एक वाणिज्यिक विविधा हो सकेगी) की योजना बेहतर रीति से पूर्ति करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की जाएगी।
11. क्षेत्रीय संघटक आई एस जी एस परियोजनाओं (भारत सरकार द्वारा आवंटन के आधार पर, जहाँ लागू हो), अनुसूचित निकासी पैटर्न, ट्रैफिक, संदाय निवंधनों आदि में राज्यों के अंशों की पहचान करने के लिए पृथक् संयुक्त/द्विपक्षीय करार करेंगे। ऐसी सभी करार अनुसूची और क्षेत्रीय ऊर्जा लेखांकन में विचार किए जाने के लिए संबंधित आर एल डी सी और आर पी सी संचिवालय में फाइल किए जाएंगे। दीर्घकालिक/अल्पकालिक आधार पर अनुसूचित अंतर विनिमय के लिए संघटकों के बीच द्विपक्षीय कोई भी करार अंतर विनिमय अनुसूची को भी पिनिर्दिष्ट करेगा जिसे आर एल डी सी के पास अग्रिम में सम्यक् रूप से फाइल किया जाएगा।
12. सभी संघटकों को अनुसूचियों से अर्थात् अनुसूचित अंतर विनिमय से फ्रिक्वेंसी लिंकड भार प्रेषण और विचलन की कीमत की संकल्पना का चालन करना चाहिए। संघटकों, उनके अनुज्ञासिधारियों तथा उत्पादन कंपनियों की सभी उत्पादन यूनिटें जब तक आर एल डी सी/एस एल डी सी द्वारा अन्यथा सलाह न दी जाए, एक संभव रीमा तक आर एल डी सी द्वारा जारी किए गए स्थायी फ्रिक्वेंसी लिंकड भार प्रेषण मार्ग दर्शन सिद्धांतों के अनुसार सामान्य रूप से प्रचालित किए जाने चाहिए।
13. आई एस जी एस के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निष्ठापूर्वक संयंत्र क्षमताओं, अर्थात् उनके बेहतर निर्धारण के अनुसार, को घोषित करे। यदि यह आशंका है कि वे अपनी घोषित क्षमता के आधार पर दी गई अनुसूचियों से विचलित करने के लिए अनुध्यात संयंत्र क्षमता को जानवूँड़कर अधिक/कम घोषित करते हैं (और इस प्रकार वे असम्यक् क्षमता प्रभार या अनुसूची से विचलन के लिए भार के रूप में धन कमाते हैं) तो आर एल डी सी आई एस जी एस से आवश्यक बैकअप आकलों की स्थिति के बारे में रपब्लीकल्यां मांग सकेगा।
14. सी टी यू गारंटीकूल एवं डक्ट्सू एवं अंतरविभिन्न और एन लॉन्ग्सू ए निकारी को अभिलेखित करने के लिए क्षेत्रीय संघटकों या अन्य पहचाने गए राज्यों के नीय सभी अंतर संयोजनों पर विशेष ऊर्जा मीटर लगाएगा। लगाए जाने वाले मीटरों का प्रकार, मीटरिंग राईम, मीटरिंग क्षमता, सांख तथा व्यासमापन अपेक्षाएं तथा मीटरिंग आंकले के संग्रह्य तथा रामायत करने के लिए राईम उपायों 2 में वर्णित है। सभी संवादों इन्हाँगम (जिनके परिसर में विशेष ऊर्जा मीटर लगाए गए हैं) सी टी यू गारंटर एवं एन सी के साथ पूर्ण समर्थन करेगी तथा संवादिक मीटर रीटिंग तैयार करेंगे तथा पारेंसित करने के लिए आर एल डी सी को उपर्युक्त सहायता देंगी।

15. आर एल डी सी सी जी के वास्तविक कुल एम डब्ल्यू एवं इजेक्सन और प्रत्येक फायदाग्राही की वास्तविक कुल निकासी की संगणना के लिए और क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा । आर एल डी सी के द्वारा की गई सभी संगणनाएं जांच और सत्यापन के लिए सभी संघटकों हेतु 15 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी । यदि किसी गलती/लोप का पता चलता है तो आर एल डी सी तत्काल पूरी जांच करेगा और त्रुटियों का दूर करेगा ।
16. आर एल डी सी जांच के लिए जारी किए जाने वाले प्रेषण तथा कुल निकासी अनुसूचियों से वास्तविक रूप से विचलन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा चाहे कोई भी संघटक अनुचित कार्य या दुरभिसंचि संगलिष्ठ होता है । यदि ऐसे किसी कार्य का पता चलता है तो मामले को और अन्वेषण/कार्रवाई के लिए सदस्य सचिव, आर पी सी को रिपोर्ट किया जाएगा ।
17. यदि उन राज्यों, जिनमें आई एस जी एस अवस्थित है, का उस आई एस जी एस में प्रमुख शेयर है तो संबंधित पक्षकार राज्यों के भार प्रेषण केन्द्रों को आई एस जी एस के अनुसूचीकरण करने की जिम्मेदारी को रामनुदेशित करने के लिए पररपर करार (प्रचलानात्मक सुविधा के लिए) कर सकेंगे । ऐसे मामलों में, संबंधित आर एल डी सी की भूमिका अपने-अपने राज्यों की कुल निकासी अनुसूचियों का अवधारण करते समय इस आई एस जी एस के कारण ऊर्जा के अंतर-राज्यिक विनिमय के लिए अनुसूची पर विचार करने हेतु रीमिट होगा ।

6.5 अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया

(तारीख 26-3-2004 की केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधिसूचना में “अनुसूचीकरण” के उपबंधों के साथ पढ़ा जाए)

1. ऐसे सभी अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों (आई एस जी एस) जिनका आउटपुट एक से अधिक राज्यों में आवंटित/संविदागत बांटा गया है, को सम्यक् रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा । केन्द्र क्षमता तथा विभिन्न फायदाग्रहियों के आवंटित/संविदागत शेयर भी सूचीबद्ध किए जाएंगे ।
2. प्रत्येक राज्य ऐसे सभी केन्द्रों के लिए (दिन के लिए अनुमानित एकस ऊर्जा संयंत्र एम डब्ल्यू क्षमता) x (केन्द्र की क्षमता में राज्यों के अंश) तक मेगावाट प्रेषण के लिए हफदार होंगे । हाइड्रो विद्युत केन्द्रों की दशा में, (ट्रिप के लिए एम डब्ल्यू एवं उत्पादन क्षमता) x (केन्द्रों की क्षमता में राज्यों का अंश) के बावर दैनिक एम डब्ल्यू एवं प्रेषण तक भी रीमिट होंगे ।
3. प्रत्येक दिन के 9 बजे तक, आई एस जी एस अगले दिन अर्थात् आगामी दिन के 0000 बजे से 2400 बजे तक के लिए संतायेत आर एल डी सी को रेशनावार एम्स ऊर्जा संयंत्र मेगावाट और अनुमानित एम डब्ल्यू एवं क्षमता की सलाह देंगे ।
4. आई एस जी एस की अनुमानित क्षमताओं की उपरोक्त जानकारी और प्रत्येक राज्य के तरस्यानी एम डब्ल्यू और एम डब्ल्यू एवं हस्टलेज का अनुसन्धान दिन के दिप प्रत्येक दिन आर एल डी सी की अनुमानित एम डब्ल्यू क्षमता 1 बजे से फायदाग्राहियों को इसके संबंध में सलाह दी जाएगी । एस एल डी सी इसका अपने अनुमानित भार पैटर्न और अपनी रखग की उत्पादन क्षमता जिरामे द्विपक्षीय

आदान प्रदान भी समिलित है, का पुनर्विलोकन करेंगे तथा आर एल डी सी को प्रत्येक के आई एस जी एस के लिए उनकी निकासी अनुसूची के बारे में 3 बजे सायं तक सलाह देगा जिसमें वे द्विपक्षीय आदान प्रदान, अनुमोदित अल्पकालिक द्विपक्षीय आदान-प्रदान तथा द्विपक्षी अंतर विनिमय के आगे के दिन के लिए खुली पहुंच तथा अनुसूचीकरण हेतु संयुक्त अनुरोध करेंगे।

5. एस एल डी सी आर एल जी सी के ऐसे स्थायी आदेश भी देंगे कि आर एल डी सी राज्यों के लिए निकासी अनुसूची के लिए स्वयं विनिश्चय कर सकेंगी।

6. प्रत्येक दिन के 5 बजे तक, आर एल डी सी, --

(i) अगले दिन के लिए विभिन्न धंटों हेतु मेगावाट में प्रत्येक आई एस जी एस को एक्स ऊर्जा संयंत्र प्रेषण अनुसूची के बारे में बताएगा। सभी फायदाग्रहियों द्वारा दी गई एक्स ऊर्जा संयंत्र निकासी अनुसूची की अंतिम सलाह एक्स ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा केन्द्र वार प्रेषण अनुसूची को बताएगी।

(ii) अगले दिन के लिए विभिन्न धंटों के लिए प्रत्येक फायदाग्रहियों के लिए “कुल निकासी अनुसूची” को बताएगा। पारेषण हानियों में कठौती करने के पश्चात् (अनुमानित) सभी आई एस जी एस के लिए स्टेशन वार एक्स-ऊर्जा संयंत्र निकासी अनुसूची तथा द्विपक्षीय अंतर-विनिमय के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय प्रिड की निकासी अनुसूची के बारे में बताएंगे।

7. जब आई एस जी एस के लिए उपरोक्त दैनिक प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय, आर एल डी सी यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रचालनात्मक रूप से युक्तियुक्त है विशेषकर अनियंत्रित घटती/बढ़ती दरों तथा अधिकतम तथा न्यूनतम उत्पादन केन्द्रों के बीच अनुपात के अनुसार है। 200 मेगावाट प्रति धंटे की अनियंत्रित दर आइ एस जी एस और क्षेत्रीय संघटकों (उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 50 मेगावाट) के लिए साधारण रूपांकन दर आइ एस जी एस के लिए साधारण रूपांकन के जो तीव्रदर पर अनियंत्रित बढ़ती/घटती दर के लिए समर्थ हो सकेंगे।

8. एस एल डी सी/आई एस जी एस स्टेशनवार निकासी अनुसूची तथा द्विपक्षीय अंतर विनिमय/अनुमानित क्षमताओं, यदि कोई हो, में किए जाने वाले किन्ही उपांतरणों/ परिवर्तनों के बारे में आर एल डी सी को 10 बजे सायं तक सूचित करेंगे।

9. ऐसी जानकारी का प्राप्ति पर, आर एल डी सी संबंधित संघटकों से परामर्श करने के पश्चात् प्रत्येक एस एल डी सी को अंतिम “निकासी अनुसूची” तथा प्रत्येक आई एस जी एस को अंतिम “प्रेषण अनुसूची” 11 बजे रात्रि तक जारी करेगा।

10. और, अगले दिन के लिए पहले से पता अधिशेषों के आधार पर, संघटक द्विपक्षीय आदान-प्रदान के लिए व्यवरक्षण कर सकेंगे, ऐसी व्यवरक्षणों के लिए अनुरूपियों के बारे में आर एल डी सी को 10 बजे रात्रि तक सूचित किया जाएगा जो 11 बजे रात्रि तक अंतिम प्रेषण/निकासी अनुसूचियों को जारी करते समय इन तय करारों को गणना में लेंगे परंतु को पारेषण अवरोधों को बढ़ावा नहीं देंगे।

11. उपरोक्त निकासी तथा प्रेषण अनुसूचियों को अदिम रूप देते समय, आर एल डी सी यह भी जांच करेगा कि ऊर्जा प्रयाह के परिणामस्वरूप किसी पारेषण अवरोधों में वृद्धि नहीं होती है। यदि किसी अवरोध का पता चलता है तो आर एल डी सी संबंधित संघटकों को सूचना देते हुए अपेक्षित सीमा तक अनुसूचियों को संतुलित करेगी। ऊर्जा की अनुसूचित मात्रा में किसी भी परिवर्तन को, जो बहुत तेजी से होता है या अस्वीकार्य वृहद उपायों में सम्मिलित होता है, आर एल डी सी उपयुक्त रैम्प में संपरिवर्तित कर सकेगा।
12. यूनिट के प्रबलित आउटेज की दशा में, आर एल डी सी पुनरीक्षित धोषित क्षमता के आधार पर अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा। पुनरीक्षित धोषित क्षमता और पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लाक को जिसमें आई एस जी एस द्वारा पुनरीक्षण किए जाने की एक बार सलाह दी जाती है, गणना में लेते हुए चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी।
13. केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या किसी अन्य पारेषण अनुज्ञापितारी, जो उत्पादन में आवश्यक कमी करने के लिए अंतर्राजिक पारेषण (आर एल डी सी द्वारा यथा प्रमाणित) में अंतर्वलित हों, के स्वामित्वाधीन किसी पारेषण प्रणाली, सहवद्ध स्विचयार्ड और उपकेन्द्रों में किसी अवरोध, आउटेज, असफलता तथा परिसीमा के कारण ऊर्जा के निकास में अवरोध की दशा में, आर एल डी सी अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा जो ऐसे समय ब्लाक, जिसमें ऊर्जा के निकास में अवरोध पहले बारी उत्पन्न हुए हों, की गणना करते हुए चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगे। और, ऐसे घटना के पहले, दूसरे तथा तीसरे समय ब्लाक के दौरान आई एस जी एस का अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा और फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी को उनकी वास्तविक निकासी के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा।
14. किसी ग्रिड बाधा की दशा में सभी आई एस का अनुसूचित उत्पादन तथा सभी फायदाग्राहियों का अनुसूचित निकासी ग्रिड बाधाओं द्वारा प्रभावित सभी समय ब्लाकों के लिए उनके वास्तविक उत्पादन/निकासी के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित की कार्य समझी जाएंगी। ग्रिड बाधा तथा उसकी अवधि का प्रमाणन आर एल डी सी द्वारा किया गया समझा जाएगा।
15. आई एस जी एस द्वारा धोषित क्षमता का पुनरीक्षण तथा दिन की शेष अवधि के लिए फायदाग्राहियों द्वारा अध्यपेक्षा की अग्रिम सूचना के साथ अनुज्ञात की जाएगी। ऐसे मामलों में पुनरीक्षित अनुसूचियों/धोषित क्षमताएँ उस समय ब्लाक, जिसमें आर एल डी सी में एक बार पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ, को गणना में लेते हुए, छठे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी।
16. यदि किसी समय बिंदु पर, आर एल डी सी समझते हैं कि बेहतर प्रणाली आपरेशन के हित में अनुसूचियों का पुनरीक्षण यिए जाने की आवश्यकता है तो वह स्पर्य ऐसा कर सकेगा और ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लाक, जिसमें आर एल डी सी द्वारा एक बार अनुसूची को पुनरीक्षित किया गया है, की गणना में लेते हुए, चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी।

17. तुच्छ पुनरीक्षण को हतोत्साहित करने के लिए आर एल डी सी अपने एकमात्र विलेख से पूर्व अनुसूची/क्षमता के दो प्रतिशत से अन्यून अनुसूची/क्षमताएं प्रभारों को स्वीकार करने से इकार कर सकेगा ।
18. प्रचालन दिन के 24 घंटे की समाप्ति के पश्चात, दिन के दौरान अंतिम रूप से लागू अनुसूची (उत्पादन केन्द्रों को प्रेषण अनुसूची में तथा राज्यों की निकासी अनुसूची में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए/आर एल डी सी द्वारा जारी की जाएगी । ये अनुसूचियां वाणिज्यिक लेखांकन के आधार पर होंगी प्रत्येक आई एस जी एस के लिए औसत एक्स-बस क्षमता को आर एल डी सी की सलाह के आधार पर निकाला जाएगा ।
19. आर एल डी सी सभी उपरोक्त जानकारी, अर्थात् उत्पादन केन्द्रों द्वारा केन्द्रवार अनुमानित एक्सअर्जा संयंत्र क्षमता सलाह, फायदाग्राहियों द्वारा विवेचित निकासी अनुसूचियों, आर एल डी सी द्वारा जारी सभी अनुसूचियों तथा उपरोक्त के सभी पुनरीक्षणों/अद्यतनों का प्रलेखन करेगा ।
20. आर एल डी सी द्वारा जारी अनुसूचीकरण तथा अंतिम अनुसूचियों की प्रक्रिया किसी जांच/सत्यापन के लिए 5 दिनों के लिए सभी संघटकों हेतु खुली रहेगी । यदि किसी ट्रुटि/लोप का पता लगता है तो आर एल डी सी तत्काल उसकी पूरी जांच करेगा तथा उसे दूर करेगा ।
21. आई एस जी एस द्वारा उपलब्धता घोषणा करते समय एक मेगावाट और एक मेगावाट घंटे सभी हकदारियों तथा अध्यपेक्षाओं का प्रस्ताव किया जा सकेगा तथा अनुसूचियों को 0.1 मेगावाट के प्रस्ताव के लिए निकटतम दशमलव में पूर्णकित किया जाएगा ।

6.6 रिएक्टिव ऊर्जा तथा वोल्टता नियंत्रण

1. रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिकर को यथासंभव रिएक्टिव ऊर्जा खपत को समाधि के रूप में रिएक्टिव ऊर्जा का उत्पादन करने वालों द्वारा सामान्य रूप से आदर्शतः प्रदान किया जाना चाहिए । अतः फायदाग्राहियों से आशा की जाती है कि सामान्य ए वी आर प्रतिकर/उत्पादन प्रदान करे जिससे कि वे इ एच वी ग्रिड से विशेषकर निम्न वोल्टता की दशा में ए वी आर एस की निकासी न कर सकें । तथपि, वर्तमान परिस्थीमाओं पर विचार करते हुए, इसके लिए जोर नहीं दिया जा रहा है । फायदाग्राहियों द्वारा ए वी आर निकासियों को हतोत्साहित करने के बजाय आई एस टी एस के ए वी आर विनियमों की निम्नलिखित रूप में कीमत तय की जाएगी —
 - फायदाग्राही ए वी आर निकासी के लिए तब संदाय करेंगे जब मीटरिंग विद्यु पर वोल्टता 97% से कम हो ।
 - फायदाग्राही को ए वी आर रिटर्न के लिए तब संदर्भ किया जाएगा जब वोल्टता 97% से कम हो ।
 - फायदाग्राही को ए वी आर निकासी के लिए तब संदाय किया जाएगा जब वोल्टता 103% से अधिक हो ।

- फायदाग्राही ए वी आर रिटर्न के लिए तब संदत करेंगे जब वोल्टता 103% से अधिक है

परंतु यह कि आई एस जी एस से सीधे मिलने वाली अपनी स्वयं की लाइन पर फायदाग्राही द्वारा वी ए आर निकासी/रिटर्न के लिए कोई प्रभार/संदाय नहीं किया जाएगा ।

2. ए वी आर के लिए प्रभार/संदाय उस नाम मात्र पैसा/के वी ए आर एच दर पर होगा जैसा समय-समय पर के.वि.वि.आ. द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ए वी आर अंतर विनिमय के लिए फायदाग्राही तथा क्षेत्रीय पूल खाते के बीच होंगी ।
3. उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, आर एल डी सी ग्रिड को सुरक्षा की दशा में या किसी उपकरण की सुरक्षा को खतरे की दशा में अपने ए वी आर/निकासी/इंजेक्शन में कमी करने के लिए फायदाग्राही को निवेश दे सकेगा ।
4. साधारणतः, फायदाग्राही, जब वोल्टता 95% से नीचे रेटिंग कि जाती है, अंतर विनिमय पर ए वी आर निकासी को कम करने के प्रयास करेगा और ए वी आर को तब वापस नहीं करेगा जब वोल्टता 105% से अधिक हो जाती है । अपने अपने निकासी बिंदु पर आई सी टी टेप को आर एल डी सी को फायदाग्राही के अनुरोध के अनुसार ए वी आर अंतर विनिमय का नियंत्रण करने के लिए परिवर्तित किया जाएगा किन्तु यह सब युक्तियुक्त अंतरालों पर किया जाएगा ।
5. संपूर्ण ग्रिड के सभी 400 के वी बस तथा लाइन रिएक्टर्स की स्थिरिंग इन/आउट आर एल डी सी के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । सभी 400/220 के वी आई सी टी पर टेप परिवर्तन भी आर एल डी सी के अनुदेशों पर ही किया जाएगा ।
6. आई एस जी एस आर एल डी सी के अनुदेशों के अनुसार, अपने-अपने उत्पादन यूनिटों की क्षमता सीमाओं के भीतर रिएक्टिव ऊर्जा को उत्पादित/आमेलित करेगा अर्थात् उस समय अपेक्षित सक्रिय उत्पादन को बंद किए बिना है । ऐसे वी ए आर उत्पादन/समामेलन के लिए उत्पादन कंपनियों को कोई संदाय नहीं किया जाएगा ।
7. दो फायदाग्राहियों के बीच उनके स्वामित्वाधीन (संयुक्त या एकल) अंतर संयोजन लाइन पर प्रत्यक्ष वी ए आर विनिमय से साधारणतः स्थानीय वोल्टता समस्या आती है और साधारणतः क्षेत्रीय ग्रिड के वोल्टता प्रोफाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । तदनुसार, ऐसे लाइनों पर ए वी आर विनिमय के प्रबंधन/नियंत्रण तथा वाणिज्यिक उठाई-घराई - प्रत्येक अलग-अलग मामले के आधार पर नियन्त्रित उपबंधों के अनुसार होगी :--

 - (i) दो संबंधित फायदाग्राही अंतर संयोजन लाइन पर उनके बीच वी ए आर विनिमय के लिए कोई प्रभार/संदाय के लिए परस्पर करार नहीं कर सकेंगे ।
 - (ii) दो संबंधित फायदाग्राही आई एस टी एस के साथ वी ए आर विनिमय के लिए के.वि.वि.आ. द्वारा विनिर्दिष्ट पहचान या अंतर के लिए उनके

बीच वी ए आर विनिमय के लिए संदाय दर/स्कीम को स्वीकार करने परस्पर सहमत नहीं हो सकेंगे।

- (iii) यदि संबंधित फायदाग्राहियों के बीच असहमति होने की दशा में, (अर्थात् एक पक्षकार वी ए आर विनिमय के लिए प्रभार/संदाय करना चाहता है और दूसरा पक्षकार उस स्कीम से इंकार करना चाहता है) तो उपांग में यथा विनिर्दिष्ट स्कीम लागू होगी। प्रति के वी ए आर एवं दर आई एस टी एस के बीच और विनिमय के लिए के.वि.वि.आ. द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी।
- (iv) ऐसे वी ए आर विनिमय की संगणना तथा संदायसे दो फायदाग्राहियों के बीच तय पारस्परिक करार प्रभावित होगा।

उपावंध 1

अनुपूरक वाणिज्यिक तंत्र

[खंड 6.11(घ) निर्दिष्ट करें]

1. फायदाग्राही के.वि.व.आ. की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, अनुसूचित प्रेषण के लिए संयंत्र उपलब्धता और ऊर्जा प्रभारों के तत्त्वानी क्षमता प्रभार अपने-अपने आई एस जी एस को संदाय करेंगे। इस प्रभारों के लिए विलों को मासिक आधार पर प्रत्येक फायदाग्राही को अपने-अपने आई एस जी एस द्वारा जारी किया जाएगा।
2. सभी फायदाग्राहियों से उपरोक्त दो प्रभारों की राशि की प्रतिपूर्ति दी गई प्रेषण अनुसूची के अनुसार उत्पादन के लिए आई एस जी एस को पूर्णतः की जाएगी। प्रेषण अनुसूची से विचलन की दशा में, संबंधित आई एस जी एस को के.वि.वि.आ. द्वारा अनुमोदित यू आई तंत्र के माध्यम से अधिक उत्पादन के लिए अतिरिक्त संदत्त किया जाएगा। दी गई प्रेषण अनुसूची से नीचे किए जा रहे वास्तविक उत्पादन की दशा में, संबंधित आई एस जी एस उत्पादन में कमी के लिए यू आई तंत्र के माध्यम से पुनः संदाय करेगा।
3. प्रत्येक आई एस जी एस से केन्द्र-वार एक्स-ऊर्जा संयंत्र प्रेषण अनुसूचियों के संकलन तथा प्रत्येक फायदाग्राही के किसी द्विपक्षीय तय अन्तर विनिमय को पारेषण हानियों के लिए समायोजित किया जाएगा और इस प्रकार संगणित कुल निकासी अनुसूची की तुलना फायदाग्राही की वास्तविक कुल निकाली के साथ की जाएगी। अधिक निकासी की दशा में, फायदाग्राही से अधिक ऊर्जा के लिए यू आई तंत्र के माध्यम से संदाय करने की अपेक्षा की जाती है कम निकासी की दशा में, निकासी न की गई ऊर्जा के लिए यू आई तंत्र के माध्यम से फायदाग्राही को पिछला संदत्त किया जाएगा।
4. जब संघटक से अनुरोध प्राप्त होता है तब आर एल डी सी क्षेत्र के भीतर या क्षेत्रीय सीमाओं के आस-पास अवस्थित विक्रेता/फ्रेंटो और अनुरूपित अन्तर विनिमय की व्यवस्था करने वाले संघटक की सहायता करेंगा। आर एल डी सी केवल सुसाध्य बनाने वालों के रूप में कार्य करेंगा (न कि व्यापारी/ब्रोकर के रूप में) और दो पक्षकारों के बीच हुए करार के अधीन दायित्व माना जाएगा सिवाय (i) यह अभिनिश्चित करते हुए कि किसी अन्य संघटक की ऊर्जा प्रणाली के संघटक ऐसे अन्तर विनिमय/व्यापार द्वारा अधिक प्रभाव पड़ेगा, और (ii) संबंधित संघटकों के लिए अन्तर विनिमय अनुरूपियों में तय अन्तर विनिमय/व्यापार को समाप्त करेंगे।
5. क्षेत्रीय ऊर्जा लेखे तथा यू आई प्रभारों का विवरण आर एल डी सी द्वारा साप्ताहिक आधार पर तैयार किया जाएगा और इन्हें पूर्व रविवार की अर्द्धरात्रि पर रामाप्त होने के रात दिन की अवधि के लिए शनिवार तक सभी संघटकों को जारी किया जाएगा। यू आई प्रभारों के संदाय को उच्च पूर्विकता देनी होगी तथा संबंधित संघटक आर एल डी सी द्वारा प्रचालित क्षेत्रीय यू आई पूल खाते में जारी विवरण के दस दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संताय करेंगे। उस अभिकरण जिसे यू आई प्रभारों के मध्य धन प्राप्त करना है, को तब तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय यू आई पूल खाते से संदत्त किया जाएगा।
6. आर एल डी सी एसे सभी संघटकों को, जिनके पास कम/उच्च वॉल्टता की स्थिति के अन्तर्गत स्लिपिट ऊर्जा की कुल निकासी/इंजेक्शन है, वी ए आर प्रभारों के लिए

साप्ताहिक विवरण भी जारी करेगा। इस संदायों को भी उच्च पूर्विकता दी जाएगी और संबंधित संघटक जारी विवरण के दस दिन के भीतर आर एल डी सी द्वारा प्रवालित क्षेत्रीय रिपोर्ट खाते में उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे। ऐसे संघटक को, जिसे वी ए आर प्रभारों के मद्दे धन प्राप्त करना है, तीन कार्य दिवस के भीतर क्षेत्रीय रिपोर्ट खाते में से संदत किया जाएगा।

7. यदि उपरोक्त यू आई तथा वी ए आर को प्रति दो दिन, अर्थात् संदायों में जारी विवरण से बारह दिन के बाद, से अनधिक तक विलंब किया जाता है तो व्यतिक्रमी संघटक को विलंब के लिए प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करना होगा। इस प्रकार एकत्रित ब्याज को ऐसे संघटकों को संदत किया जाएगा जिसे उस संदाय की रकम प्राप्त करनी थी जो विलंब से प्राप्त हुई थी। लगातार संदाय में व्यतिक्रम, यदि कोई हो, को उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करने के लिए सदस्य संघिव आर एल डी सी द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।
8. प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सभी वी ए आर प्रभारों का संदाय करने के पश्चात् क्षेत्रीय रिपोर्ट खाता में रखे अधिशेष धन को ऐस एल डी सी प्रचालकों के प्रशिक्षण के लिए और अन्य वैसे ही प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जो अपने-अपने क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन में सुधार करने/कारगर बनाने में सहायता करेगा जैसा समय-समय पर अपने-अपने आर पी सी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।
9. यदि क्षेत्रीय ग्रिड की बोल्टता प्रोफाइल में उस सीमा तक सुधार होता है कि सप्ताह के लिए क्षेत्रीय वी ए आर प्रभार खातों से कुल संदाय उस सप्ताह के लिए संदत की जा रही कुल रकम से अधिक है और यदि क्षेत्रीय रिपोर्ट खातों में घाटे को पूरा करने के लिए कोई अतिशेष नहीं है तो उपरोक्त खाते में उपलब्ध कुल धन के अनुसार आनुपातिक रूप से धन में कमी की जाएगी।
10. आर एल डी सी क्षेत्रीय यू आई लेखा तथा आर पी सी वाणिज्यिक समिति बैठक में क्षेत्रीय रिपोर्ट ऊर्जा खाते का पूर्ण विवरण तिमाही आधार पर रखेगा।
11. सभी 15 मिनट के ऊर्जा आंकड़े (कुल अनुसूचित, वास्तव में मीटरित तथा यू आई) को निकटतम 0.01 एम डब्ल्यू एच से गुणांकित किया जाएगा।

उपांवंध 2

विशेष ऊर्जा मीटरों की विनियामक अपेक्षाएं

1. समान तकनीकी विनिर्देश के विशेष ऊर्जा मीटर प्रत्येक क्षेत्रीय संघटक को क्षेत्रीय ग्रिड के साथ उनके वास्तविक कुल अन्तर विनिमय को अवधारित करने के लिए विद्युत परिसर में प्रदान किए जाएंगे । प्रत्येक अन्तर संयोजन में (1) एक मीटर होगा इसके अतिरिक्त, एक अतिरिक्त/जांच मीटर भी प्रदान किया जाएगा जिससे संघटक के कुल अन्तर विनिमय की ठीक संगणना संभव हो जब मुख्य मीटर सी टी या बी टी में खराबी आती है ।
2. विशेष ऊर्जा मीटर स्थैतिक आकार, समिश्रित मीटर, संस्थापित सर्किटवार, सक्रिय तथा रिएक्टिव ऊर्जा के माप के लिए स्वतः पूर्ण युक्तियाँ, और निम्नलिखित पैराओं में यथा विहित करिय प्रत्येक अन्य पैरामीटर लगे होंगे । मीटर वोल्टता ट्रांसफार्मर (वी टी) से प्रत्यक्षतः संयोजित किए जाने के लिए उपयुक्त होंगे जिनमें 100 वाट का प्रेषण लाइन से लाइन वोल्टता और करंट ट्रांसफार्मर रेटिंग हो जिनका 1ए (माडल ए) या 5ए (माडल बी) के गौण करंट रेटिंग हो । संदर्भ फ्रिक्वेंसी 50 एवं ज्येड होगी ।
3. मीटर गैर वाष्पशील मैमोरी का होगा जिसमें निम्नलिखित को स्वयं ही भंडारित किया जाएगा :—
 - (i) दो अंकीय कोड के रूप में (49.0 से 51.0 एवं ज्येड तक की फ्रिक्वेंसी के लिए 00 से 99 तक) प्रत्येक आनुक्रमिक 15 मिनट ब्लाक के लिए औसत फ्रिक्वेंसी ;
 - (ii) जमा/धंटा संकेत के साथ द्वितीय दशमलव तक आनुक्रमिक 15 मिनट के ब्लाक के दौरान डब्ल्यू एवं अंतरण (ट्रांसमिटल) ;
 - iii) छह अंकों, जिसमें एक दशमलव भी समिलित है, में प्रत्येक अर्धशत्रि पर संचयी डब्ल्यू एवं अंतरण ;
 - iv) छह अंकों में जिसमें एक दशमलव भी है, प्रत्येक अर्धशत्रि पर उच्च वोल्टता स्थिति के लिए संचयी बी ए आर एवं अंतरण ;
 - v) छह अंकों, जिसमें एक दशमलव भी समिलित है, निम्न वोल्टता की स्थिति के लिए संचयी बी ए आर एवं अंतरण ;
 - vi) स्टार (*) मार्क के रूप में, किसी भी फेज पर वी टी प्रदाय की असफलता की तारीख तथा समय ब्लाकें ।
4. मीटर दस दिन की अवधि के लिए अपने मैमोरी में उपरोक्त सभी सूचीबद्ध आंकड़ों को भंडारित करेगा । दस दिन से पुसने आंकड़ों को स्वतः ही हटा दिया जाएगा । प्रत्येक मीटर में हस्त चालित आंकड़ा रंग्रहण युक्ति का उपयोग करते हुए अपनी मैमोरी में भंडारित सभी आंकड़ों की टेपिंग के लिए अपने फ्रंट पर प्रकाशीय पोर्ट होगे ।

5. सक्रिय ऊर्जा मापमान आई ई सी - 687/आई ई सी - 62053 - 22 के श्रेणी 0.2. एस के अनुसार शुद्धता के साथ 3 फेज, 4 वायर सिद्धान्त पर किया जाएगा। माडल-क में, ऊर्जा सी टी तथा वी टी गौण मात्राओं में प्रत्यक्षतः संगणित और वाट घंटे में उपर्युक्त किए जाएंगे। माडल-ख में, प्रदर्शित ऊर्जा तथा अभिलेखन सी टी तथा वी टी गौण मात्राओं में संगणित डब्ल्यू एच का पांचवां होगा।
6. वी ए आर तथा रिएक्टिव ऊर्जा मापमान आई ई सी - 62053 - 23 के श्रेणी 2 के अनुसार या उससे बेहतर शुद्धता के साथ 3 फेज, 4 वायर सिद्धान्त पर भी होंगे। माडल-क में, वी ए आर तथा वी ए आर एच सी टी तथा वी टी की संगणना गौण मात्राओं में प्रत्यक्षतः की जाएगी। माडल-ख में, इन्हें सी टी और वी टी गौण मात्राओं में उनके एक बटा पांचवें के रूप में प्रदर्शित और अभिलिखित किया जाएगा। वहां दो रिएक्टिव ऊर्जा रजिस्टर होंगे, एवं उस अवधि के लिए होगा जब औसत आर एम एस वोल्टता 103% से ऊपर है और दूसरा इस अवधि के लिए होगा जब वोल्टता 97% से कम हो।
7. 15 मिनट डब्ल्यू एच ए+वीई संकेत होगा जब उपकेन्द्र बस वार से कुल डब्ल्यू एच एक्सपोर्ट है, और ए-वाई संकेत तब होगा जब वहां कुल डब्ल्यू एच इनोर्ट हो। डब्ल्यू एच और वी ए आर एच के लिए एकीकृत (शंघयी) रजिस्टर तब आगे किया जाएगा जब यहां उपकेन्द्र बस वार से डब्ल्यू एच/वी ए आर एच का एक्सपोर्ट किया जाता है तथा उसे पीछे तब किया जाता है जब वहां इम्पोर्ट हो।
8. मीटर टर्न द्वारा प्रदर्शित (मांग पर) किए जाएंगे जिनमें निम्नलिखित पैरामीटर होंगे :--
- (i) मीटर की विलक्षण पहचान संख्या ;
 - (ii) तारीख ;
 - (iii) समय ;
 - (iv) संघयी डब्ल्यू एच रजिस्टर रीडिंग ;
 - (v) पूर्व 15 मिनट ब्लाकों के औसत फ्रिक्वेंसी ;
 - (vi) +/- धिन के साथ पूर्व 15 मिनट के ब्लाक में कुल डब्ल्यू एच अन्तरण ;
 - (vii) औसत वोल्टता प्रतिशतता ;
 - (viii) रिएक्टिव ऊर्जा, +/- के साथ ;
 - (ix) वोल्टता - उच्च वी ए आर एच रजिस्टर रीडिंग ;
9. तीन लाइन -टू-न्यूट्रल वोल्टता को लगातार मानीटर किया जाएगा और यदि यह 70% से नीचे आती है तो उस रिथेति को पर्याप्त रूप से उपर्युक्त तथा अभिलिखित फिया जाएगा। मीटर किसी सहायक ऊर्जा प्रदाय की आवश्यकता के फिला वी टी गौण सरिप्त से

निकासी की गई ऊर्जा के साथ प्रचालित किए जाएंगे। प्रत्येक मीटर कलेंडर और ब्लाक में निर्मित किए जाएंगे जिनकी शुद्धता प्रति मास 30 सेकेंड या उससे बेहतर हो।

10. मीटर पूर्णतया सीलबन्द तथा छेड़छाड़ रोधी होंगे और निर्बंधित ब्लाक को ठीक करने के सिवाय उनमें किसी भी समायोजन की संभाव्यता नहीं होगी। हार्मोनिक्स को डब्ल्यू एच, वी ए आर तथा वी ए आर एच को मापते समय अधिमानतः नियन्त्रित किए जाएंगे और केवल मूल्य क्रिक्वेसी मात्रा को मापा जाएगा/संगणित किया जाएगा।
11. सभी मीटरिंग उपकरण विनिर्माता के संकर्म से प्रेषण करने से पूर्व क्वासिटी, पूर्णतः जांच किए हुए, व्यस्तिक रूप से जांच किए हुए होंगे तथा सी टी यू द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
12. इन सी टी कार्य करने की जांच तथा शुद्धता की विषम जांच 1.0 श्रेणी के ऊर्जा मीटरों के प्रकार तथा स्वीकार्यता की जांच करने के लिए आई ई सी - 60736 अनुपालन करने वाले वहनीय जांच उपकरणों के साथ सी टी यू द्वारा वर्ष में एक बार सभी मीटरों के लिए की जाएगी।
13. प्रत्येक मीटर की शुद्धता की पूर्ण जांच प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार प्रत्यापित प्रयोगशाला में सी टी यू द्वारा की जाएगी।
14. करेट तथा दोल्टता ट्रांसफार्मर, जिसके लिए उपरोक्त ऊर्जा संयोजित किए जाते हैं, 0.5 श्रेणी या उससे बेहतर शुद्धता के मापमान के होंगे। मुख्य तथा दूसरे मीटर/जांच मीटर सी टी और वी टी एच के विभिन्न सेटों जब कभी उपलब्ध हो से संयोजित किए जाएंगे।
15. विनियामक परिप्रेक्ष्य से केवल क्रियात्मक अपेक्षाएं इस कोड में दो गई हैं। मीटरों, उनके उपकरणों और जांच उपकरणों के लिए विस्तृत विनिर्देश तथा उनकी साप्ताहित रीडिंग लेने की प्रक्रिया को सी टी यू द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।


राज्य स्वामित्वाधीन लाइनों पर रिएक्टिव ऊर्जा विनिमयों के लिए संदाय

[खंड 8.6.7(iii) निर्दिष्ट करें]

केस 1

राज्य -- क के स्वामित्वाधीन अंतर संयोजित लाइन


मीटरिंग बिंदु : राज्य -- ख के उपकेन्द्र



केस 2

राज्य -- ख के स्वामित्वाधीन अंतर संयोजित लाइन

मीटरिंग बिंदु : राज्य -- क के उपकेन्द्र




निम्नलिखित के लिए राज्य ख राज्य क को संदाय करता है

- (i) जब वोल्टता 97% से कम हो राज्य-क से प्राप्त कुल वी ए आर एच और
- (ii) जब वोल्टता 103% प्रतिशत से ऊपर हो राज्य-क को प्रदाय किया गया कुल वी ए आर एच

टिप्पण : कुल वी ए आर एच तथा संदाय सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है

केस 3 अंतररसंयोजित लाइन राज्य--क तथा--ख के संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन है

मीटरिंग बिंदु : राज्य--क तथा राज्य--ख के उपकेन्द्र



एस/एस - ए से एक्सर्पॉटेड कुल वी ए आर एच जब वोल्टता $< 97\% = X_1$

एस/एस - ए से एक्सर्पॉटेड कुल वी ए आर एच जब वोल्टता $< 103\% = X_2$

एस/एस - ए से इपोर्टेड कुल वी ए आर एच जब वोल्टता $< 97\% = X_3$

एस/एस - ए से एक्सर्पॉटेड कुल वी ए आर एच जब वोल्टता $< 103\% = X_4$

(i) राज्य--ख राज्य--क को निम्नलिखित के लिए संदाय करते हैं

X_1 या X_3 , जब कभी आकार में छोटा है, और

(ii) राज्य--ख राज्य--क को निम्नलिखित के लिए संदाय करते हैं

X_2 या X_4 , जब कभी आकार में छोटा है।

टिप्पण :

1. कुल वी ए आर एच तथा कुल संदाय नकारात्मक या सकारात्मक हो सकेगा,
2. यदि X_1 सकारात्मक है और X_3 नकारात्मक है या उसके विपरीत है तो उपरोक्त (i) के अधीन कोई संदाय नहीं होगा।
3. यदि X_2 सकारात्मक और X_4 नकारात्मक है या विपरीत है तो उपरोक्त (ii) के अधीन कोई संदाय नहीं होगा।

अध्याय 7

अंतर-क्षेत्रीय विनिमय

7.1 प्रस्तावना

1. भारत को साठवें दशक में ऊर्जा प्रणाली की योजना, विकास तथा प्रचालन के लिए 5 (पाँच) विद्युत क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तीन दशकों से भी अधिक के लिए, उत्पादन तथा परेशन योजना उद्देश्य/मानदंड के रूप में स्वयं पर्याप्तता के लिए क्षेत्रों के पास निरंतर थी और परिणामस्वरूप, ऊर्जा के मार्जिनल विनिमय के लिए ही अंतर-क्षेत्रीय लिंकों की योजना की गई थी, 2002 तक रेडियल मोड में प्रचालन करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय लिंकों में 220 के वी/132 के वी ए सी लाइनें, एच वी डी सी बैंक टू बैंक लिंक सम्मिलित थे जिसे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी स्वयं की फ्रिक्वेंसी पर प्रचालित करने के लिए अनुज्ञात किया गया।
2. 400 के वी ए सी लाइनों के माध्यम से पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिडों के समकालिक के साथ 2003 से दृश्य पूरी तरह से बदल गया है जो क्षेत्रीय सीमाओं के आस-पार प्रवाह के लिए ऊर्जा की सारवान् मात्रा को समर्थ बनाती है। पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिण क्षेत्र के बीच 2000 एम डब्ल्यू तलचर-कोलार एच वी डी सी लिंक तथा पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच 500 एम डब्ल्यू सासाराम एच वी डी सी लिंक इन क्षेत्रों के बीच ऊर्जा के नियंत्रित विनिमय को भी सुकर बनाएगा। आगामी वर्षों में अनेक और अधिक अंतर-क्षेत्रीय लिंकों को स्थापित किए जाने की योजना है। इन लिंकों के आपरेशन के लिए लागू किए जाने वाले विशेष बातों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है।
3. इस अध्याय के अनुबंधों को प्रचालनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए सी टी यू (आर एल डी सी के प्रचालन के रूप में) द्वारा पूरा किया गया है। जब कभी और अंतर-क्षेत्रीय लिंक प्रचालन में आएंगे उनको पुनरीक्षित/अद्यतन करने की भी आवश्यकता होगी। सम्यक् अनुक्रम में, इस जिम्मेदारी को सी टी यू को अंतरित किया जा सकेगा तथा यह अध्याय आई ई जी सी के अनुरूप नहीं है।

7.2 वर्तमान प्रणाली

1. भारत के पास तीन समकालिक ऊर्जा प्रणाली है (क) उत्तरी, (ख) मध्य (प०क्षेत्र-पूर्वीक्षेत्र--उ.पू.क्षेत्र) तथा (ग) दक्षिण। उत्तरी प्रणाली दो बैंक-टू-बैंक एच वी डी सी लिंकों के माध्यम से मुख्यतः मध्य से जुड़ी हुई है : (क) $2 + 250$ मेगावाट विद्युताल (उत्तरी क्षेत्र - पश्चिमी क्षेत्र) और (ख) $1x 500$ एम डब्ल्यू सासाराम (पूर्वी क्षेत्र -- उत्तरी क्षेत्र)। दक्षिणी प्रणाली तीन लिंकों के माध्यम से मुख्यतः मध्य से जुड़ी हुई है (क) $2x 1000$ तलचर-कोलार (पूर्वी क्षेत्र - दक्षिणी क्षेत्र), (ख) $2 + 500$ मेगावाट गजुवाका (पूर्वी क्षेत्र - उत्तरी क्षेत्र) और (ग) $2 + 500$ चन्द्रपुर (पूर्वी क्षेत्र - दक्षिणी क्षेत्र)

पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र 400 के वी डी/सी राउरकेला-रायपुर लाइन के माध्यम से, दुष्क्रियपदार तथा कोरवा के बीच तीन 220 के वी सर्किट के माध्यम से सम्मिलित हुई है तथा पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र 400 के वी डी/सी माल्दा-पुरानिया/बीनागुड़ी-बंगईगांव लाइन तथा 220 के वी डी/सी बीरपाड़ा-सलाकती लाइन के माध्यम से समकालिक हुई है।

2. जबकि एवं वी डी सी पर ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रण स्तर पर किसी अपेक्षा से नियंत्रित या सेट किया जा सकता है और जिसके द्वारा उत्तरी तथा मध्य के वी एवं विनिमय तथा दक्षिण तथा मध्य के बीच, विनिमय को पश्चिमी, पूर्वी के बीच ऊर्जा अंतर विनिमय तथा तीन क्षेत्रों में भार उत्पादन संतुलन पर निर्भर करते हुए सीधे नियंत्रित किया जा सकता है।

7.3 आई एस जी एस का अनुसूचीकरण

1. सभी आई एस जी एस, सिवाय तलचर 2 एस टी पी एस के, उस क्षेत्र के आर एल डी सी के माध्यम से अनुसूचित किए जाएंगे जिनमें वह अवस्थित है भले ही वे यदि उनके पास फायदाग्राही दूसरे क्षेत्र के हों। दूसरे शब्दों में, आई एस जी एस केवल मेजबान-आर एल डी सी के साथ विचार-विमर्श करेगा। अन्य क्षेत्रों में फायदाग्राहियों का आबंटन के लिए, मेजबान आर एल डी सी उनके बीच तैयार पद्धतियों के अनुसार संबंधित आर एल डी सी के साथ विचार विमर्श करेंगे। संबंधित आर एल डी सी अपने अपने फायदाग्राही के साथ पुनः विचार विमर्श करेंगे तथा मेजबान एस एल डी सी को लौटाएंगे।
2. तलचर - 2 एस टी पी एस के लिए अनुसूचीकरण प्रक्रिया पृथक् रूप से विहित की जाती है। भूटान में चुखा एच ई पी और कुरीचु एच इ पी इ आर एल डी सी के माध्यम से अनुसूचित किए जाएंगे।
3. प्रत्येक आर एल डी सी 0.1 मेगावाट के संकल्प के साथ फायदाग्राहियों तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचियों के निकासी अनुसूचियों को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए अपने स्वयं के क्षेत्र की पारेषण हानियों का प्राक्कलन तथा विभाजन करेगा।

7.4 तलचर-2 एस टी पी एस/तलचर-कोलार एवं वी डी सी की अनुसूचीकरण/सेटिंग तथा प्रचालन

1. पूर्वी क्षेत्र में उडीसा में अवस्थित 4×500 मेगावाट तलचर 2 एस टी पी एस को दक्षिणी क्षेत्र के फायदाग्राहियों को पूर्णतः समनुदेशित किया गया है। और, इसे पूर्वी क्षेत्र के साथ समाकलित किया गया है तथा मध्य (प.क्षेत्र - पूर्वी क्षेत्र - उत्तर पूर्वी क्षेत्र) फ्रिक्वेंसी में प्रद्यालित किया जाता है। तलचर-2 की सहबद्ध पारेषण प्रणाली के भाग रूप निर्मित 2×1000 मेगावाट $+/- 500$ के वी तलचर - कोलार एवं वी डी सी लिंक के माध्यम से ऊर्जा प्रारंभिक दक्षिणी-क्षेत्र को संयोजित की जाती है। इस प्रकार, यह एक विशेष मामला है जो इस ग्रिड कोड में विनिर्दिष्ट अनुबंधों की अपेक्षा करता है।
2. उत्तरदायित्वों के स्पष्ट विभाजन तथा इधर उधर से अल्पतम समन्वय करने के लिए तलचर 2 का अनुसूचीकरण का समन्वय एस आर एल डी सी द्वारा किया जाता है और तलचर-1 ($2 + 500$ मेगावाट) और तलचर 2 (4×500 मेगावाट) की बीच 400 के वी सी बस कूपलर्स को उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र के बीच अंतरापृष्ठ इंटरफेस के रूप में समझा जाएगा।
3. तलचर -2 एस टी पी एस प्रत्येक दिन 9 बजे प्रातः तक अगले दिन के लिए एक्स ऊर्जा संयंत्र मेगावाट तथा मेगावाट घंटे क्षमताओं के बारे में एस आर एल डी सी (ई आर एल डी सी तथा तलचर एच वी डी सी टर्मिनल को प्रतियों के साथ) को सलाह देगा। तब एस आर एल डी सी एस आर के एस एल डी सी के साथ विचार विमर्श करेगा और तलचर-2 एस टी पी एस को अगले दिन के लिए तलचर-2 की प्रेषण अनुसूची को, ई आर एल डी सी और तलचर एच वी डी सी टर्मिनल को 5.00 बजे तक प्रतियों सहित भेजेगा।

4. फोरसीन ऊर्जा संयंत्र क्षमता तथा फायदाग्रहियों के अध्येक्षाओं में किसी परिवर्तन को एस आर एल डी सी द्वारा समन्वित किया जाएगा और अगले दिन के लिए अंतिम प्रेषण तथा निकासी अनुसूचियां 11.00 बजे रात्रि तक एस आर एल डी सी द्वारा जारी की जाएंगी। तलचर-2 के किसी भी द्विपक्षीय विनियम को (अनअध्येक्षित क्षमता, यदि कोई हो, के लिए) एस आर एल डी सी द्वारा जारी अनुसूचियों में सम्मिलित किया जाएगा।
 5. तलचर इंड पर तलचर - कोलार एच वी डी सी लिंक के बेस एम डब्ल्यू स्तर के संबंध में एस आर एल डी सी द्वारा तलचर (एच वी डी सी को पृथक् रूप से सलाह दी जाएगी। इसके तलचर -2 प्रेषण अनुसूची के बराबर होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊर्जा अन्य मार्ग अर्थात् गजुवाका एच वी डी सी और चन्द्रपुर एच वी डी सी, द्वारा एस आर को जा सकती है (एच वी डी सी सेटिंग को एस आर एल डी सी द्वारा पूरा किया जाना होता है)
 6. तलचर -2 एस टी पी एस के वास्तविक कुल इंजेक्शन को तलचर-2 यूनिट के 400 के वी के तरफ के उत्पादन ट्रांसफार्मरों पर भीटरित किया जाएगा, उपरोक्त वास्तविक इंजेक्शन तथा प्रेषण अनुसूची तलचर -2 के यू आई को सिद्ध करती है जिसके लिए संदाय एस आर एल डी सी द्वारा प्रचालित दक्षिण क्षेत्र के यू आई पूल खाते से/में किए जाएंगे किन्तु इंआर की तत्स्थानी यू आई आर पर इंआर किंवदंसी को दोहराया जाता है। तलचर - 2 एस टी पी एस के ऊर्जा लेखाकंन एस आर एल डी सी द्वारा किया जाएगा।
 7. जब तलचर-2 के लिए प्रेषण अनुसूची एस आर एल डी सी की सलाह के अनुसार होगी तब तलचर-2 पर वास्तविक उत्पादन इंआर फ्रिक्वेंसी पर निर्भर रहते हुए स्टेशन आपरेटरों द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा जिसके कारण यू आई इंआर में पारेषण अवरोधों का कारण नहीं होता है। तलचर 2 ए के यू आई द्वारा इंआर में कारित किए जा रहे पारेषण अवरोधों की दशा में, इंआर एल डी सी एस आर एल डी सी को सूचना देने की कमी करने के लिए तलचर-2 को सलाह दे सकेगा। ऐसी कोई सलाह का तलचर-2 द्वारा पालन तत्काल पालन किया जाएगा।
 8. सी ई ए, ई आर एल डी सी, एस आर एल डी सी, एन टी पी सी तथा पावरग्रिड संयुक्त रूप से कार्य करेंगे तथा तलचर-2 एस टी पी एस और तलचर कोलार एच वी डी सी के बीच अपेक्षित अंतर ट्रिपिंग/रनबैक व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करेंगे, विशेषकर, व्यवस्थाओं का उद्देश्य एच वी डी सी लिंक के एक या दोनों पालों की ट्रिपिंग की दशा में इंआर तथा डब्ल्यू आर में फ्रिक्वेंसी में वृद्धि तथा लाइन में ओवरलोडिंग की अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर रखना होगा।
 9. तलचर-2 यूनिट की ट्रिपिंग की दशा में, तलचर-कोलार आर एच वी डी सी लिंक पर ऊर्जा प्रवाह को पाछे नहीं किया जाएगा जब इंआर की फ्रिक्वेंसी एस आर फ्रिक्वेंसी से उच्चतर हो। केवल जब इंआर की फ्रिक्वेंसी नीचे की ओर हो रही हो, तब एस आर फ्रिक्वेंसी तलचर - कोलार एच वी डी सी लिंक पर ऊर्जा का प्रवाह करेगा किन्तु वह धीरे-धीरे और इंआर फ्रिक्वेंसी को आवश्यक सीमा तक रखते हुए एस आर फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा अधिक हो जाती है। तथापि, यदि इंआर फ्रिक्वेंसी एस आर फ्रिक्वेंसी से पहले ही नीचे था तथा 49.0 एच ज्येड से नीचे आ गया हो, तो एच वी डी तलचर 2 यूनिट के ट्रिपिंग के किसी हानिकर प्रभाव से ईंआर ग्रिड को बचाने के लिए बिना किसी विलंब के तलचर -2 पर उत्पादन हानि को धीरे-धीरे कम किया जाएगा।
- 7.5 अनुसूचीकरण का विभाजन तथा एच वी डी सी सेटिंग की जिम्मेदारी

1. एन आर एल डी सी सभी अन्य क्षेत्रों के साथ एन आर के अंतर्विनिमय की अनुसूची करेगा और विद्यांचल तथा सासाराम एवं वी डी सी स्टेशनों को ऊर्जा सेटिंग के लिए भी सलाह देगा। ई आर/एन ई आर से एन आर तक ऊर्जा का कुल अनुसूचित इंपोर्ट 500 मेगावाट (सासाराम एवं वी डी सी की क्षमता) तक निर्बंधित किया जा सकेगा।
2. एस आर एल डी सी सभी क्षेत्रों के साथ एवं आर के अंतर्विनिमय की अनुसूची करेगा और तलचर चन्द्रपुर तथा गजुवाका उपकेन्द्रों को ऊर्जा सेटिंग के लिए सलाह देगा।
3. उपरोक्त अंतर्विनिमय अनुसूचियों तथा एच वी डी सी सेटिंग को विनिर्दिष्ट करते समय, एन आर एल डी सी तथा एस आर एल डी सी यह अभिनिश्चित करेंगे (ई आर एल डी सी/डब्ल्यू आर एस डी सी के समन्वय से) कि कोई पारेषण ओवर लोडिंग एच वी डी सी लिंकों की ओर एक कारण बनेगा।
4. एच वी डी सी लिंकों की सेटिंग अपने-अपने अंतर्विनिमय अनुसूचियों के साथ नहीं मिल सकेंगे। विशेषकर, अनुसूचित अंतर्विनिमय (यू आई) अपने-अपने अंतर-क्षेत्रीय अनुसूचियों से ऊर्जा स्तरों में भिन्नता करने पर एच वी डी सी लिंकों को सेटिंग करके निम्न फ्रिक्वेंसी के साथ प्रणाली की उच्चतर फ्रिक्वेंसी सहित प्रणाली से अनुज्ञात किए जा सकेंगे।
5. अपनी अधिकारिता के अंतर्गत एच वी डी सी लिंकों की सेटिंग को विनिर्दिष्ट करते हए, एन आर एल डी सी तथा एस आर एल डी सी यह भी देखेंगे कि क्या एक लिंक से दूसरे लिंक की ओर कुछ ऊर्जा का अंतरण करने से पारेषण हानियों और/या पारेषण लोडिंग में कमी होगी (जिसके द्वारा अधिक अंतर-क्षेत्रीय ऊर्जा अंतरण को अनुज्ञात किया गया) तथा संपूर्ण प्रणाली सुरक्षा/वोल्टता प्रोफाइल में सुधार होगा।
6. साधारण मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, जब कभी एन आर फ्रिक्वेंसी लगभग 0.2 एच ज्येड से अधिक मध्य (डब्ल्यू आर-ई आर-एन ई आर) फ्रिक्वेंसी से उच्चतर होती है तो विद्यांचल एच वी डी सी के माध्यम से एन आर-डब्ल्यू आर ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा। यदि ऐसी फ्रिक्वेंसी विभिन्न कारणों से होती है तो सासाराम एच वी डी सी के माध्यम से ई आर-एन आर ऊर्जा के प्रवाह में भी ई आर डब्ल्यू आर लिंकों को ओवरलोडिंग किए बिना एक सीमा तक कमी की जाएगी।
7. जब एन आर फ्रिक्वेंसी लगभग 0.2 एच ज्येड से अधिक मध्य फ्रिक्वेंसी से कम होती है तो ई आर/एन आर सासाराम एच वी डी सी के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह में पहले कमी की जाएगी। यदि ऐसी कमी विभिन्न कारणों से होती है तो ई आर/डब्ल्यू आर तथा एन आर में पारेषण लाइनों की ओवर लोडिंग किए बिना एक संभव सीमा तक वृद्धि की जाएगी।
8. इसी प्रकार, जब एस आर फ्रिक्वेंसी लगभग 0.2 एच ज्येड से अधिक मध्य फ्रिक्वेंसी (डब्ल्यू आर-ई आर-एन ई आर) से अधिक है तो चन्द्रपुर एच वी डी सी के माध्यम से एस आर-डब्ल्यू आर ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि की जाएगी। यदि ऐसी फ्रिक्वेंसी विभिन्न कारणों से होती है तो गजुवाका और तलचर-कोलार एच वी डी सी के माध्यम से ई आर-एन आर ऊर्जा प्रवाह में ई आर-डब्ल्यू आर लिंकों की ओवर लोडिंग किए बिना एक सीमा तक कमी की जाएगी।
9. जब एस आर फ्रिक्वेंसी लगभग 0.2 एच ज्येड से अधिक मध्य फ्रिक्वेंसी से कम है तो तलचर-कोलार और गजुवाका एच वी डी सी के माध्यम से ई आर/एस आर ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि की जाएगी। यदि ऐसी फ्रिक्वेंसी विभिन्न कारणों से होती है तो चन्द्रपुर एच वी डी

सी के माध्यम से डब्ल्यू आर -- एस आर ऊर्जा प्रवाह में ई आर/डब्ल्यू आर लिंकों की ओवरलोडिंग किए बिना एक सीमा तक वृद्धि की जाएगी।

10. डब्ल्यू आर एल डी सी ई आर - डब्ल्यू आर लिंकों पर 1000 मेगावाट (लगभग 500 मेगावाट के प्रतिमूर्ति मार्जिन को ध्यान में रखते हुए) के अनुसूचित ईपोर्ट को इस समय सीमित करते हुए, ई आर तथा एन ई आर के साथ डब्ल्यू आर को ऊर्जा अंतर विनियम को अनुसूचित करेगा। यह ई आर -- डब्ल्यू आर टाई पर ऊर्जा प्रवाह को भी मानीटर करेगा तथा ओवरलोडिंग की दशा में एन आर एल डी सी/एस आर एल डी सी से अपने-अपने क्षेत्रों के माध्यम से कुछ ई आर -- डब्ल्यू आर ऊर्जा प्रवाह को अपवर्तित करने का अनुरोध कर सकेगा। यदि अपेक्षित सहायता तत्काल नहीं मिलती है या संभव नहीं है तो डब्ल्यू आर एल डी सी, अपने स्वयं के क्षेत्र में कोई भी आवश्यक निवारक कार्रवाई करने का आदेश देगा।
11. यह आशा की जाती है कि सामान्य अनुक्रम में, उपलब्ध सभी प्रमुख पारेषण तत्वों के साथ एन ई आर और इ आर के बीच तथा ई आर तथा एस आर के बीच कोई पारेषण अवरोध नहीं होंगे, यदि कोई अवरोध पैदा होते हैं तो आर एल डी सी उनके और एन बार एल डी सी के बीच समन्वय करेगा यदि परिस्थिति से निपटना आवश्यक हो।

7.6 अनुसूचीकरण तथा यू आई लेखांकन के लिए अंतरापृष्ठ

1. अंतर्स्केत्रीय विनियम की अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा यू आई लेखांकन के लिए क्षेत्रीय सीमाएं निम्नलिखित रूप में होंगी :--

क)	एन आई - डब्ल्यू आर	:	विध्यांचल एच वी डी सी के 400 के वी पश्चिमी बस
ख)	डब्ल्यू आर - एस आर	:	चन्द्रपुर एच वी डी सी के 400 के वी पश्चिमी बस
ग)	एन आर - ई आर	:	सासाराम एच वी डी सी का 400 के वी पूर्वी बस
घ)	ई आर - एस आर	:	तलधर 1 और तलधर 2 के बीच 400 के वी बस कूपलर्स 400 गजुवाका एच वी डी सी का 400 के वी पूर्वी बस
ङ)	ई आर - डब्ल्यू आर	:	400 के वी डी/सी राउरकेला - रायपुर लाइन का राउरकेला लिंक 200 के वी बुद्धीपदार-कोरबा लाईन्स के बुद्धीपदार लिंक
घ)	ई आर - एन ई आर	:	400 के वी डी/सी माल्वा पुर्णिया/बीनगुरी - बंगईगांव लाइन 400 के वी डी/सी बीरपारा - सलाकाटी का सलाकाटी लिंक

2. यू आई के एन आर - डब्ल्यू आर तथा डब्ल्यू आर - एस आर विनिमय डब्ल्यू आर में यू आई दर पर होंगे। सभी अन्य यू आई विनिमय ई आर में यू आई दर पर होंगे। अंतर-क्षेत्रीय यू आई विनिमय के लिए संदाय अपने-अपने यू आई पूल खाते, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच होंगे।
3. अंतर-क्षेत्रीय अनुसूचियों से लिंक वार/अनुसूचियाँ (जहां दो क्षेत्रों में एक या उससे अधिक अंतर-संयोजन हों) को विभाजित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा।

अध्याय 8

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का प्रबंधन

- 8.1 भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई ई जी सी) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ज) के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। आई ई जी सी से संबंधित कोई भी संयोजन केवल के.वि.वि.आ. द्वारा ही विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- 8.2 आई ई जी सी और उसके संशोधनों को के.वि.वि.आ. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जारी विनियमों के लिए अनुसरण की जाने वाली विहित प्रक्रिया को अधिसूचित किया जाएगा।
- 8.3 आवधिक विचार, परामर्श तथा निपटान करने के लिए आई ई जी सी में संशोधन/उपांतरण के लिए तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनुरोध, सचिव, के.वि.वि.आ.को किया जाएगा।
- 8.4 आई जी सी के निर्वचन के बारे में कोई विवाद या शंका सचिव, के.वि.वि.आ को भेजी जा सकेगी तथा के.वि.वि.आ द्वारा स्पष्टीकरण अंतिम तथा सभी संबंधितों पर आबद्ध समझा जाएगा।
- 8.5 राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस ई आर सी) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ज) के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी-अपनी अंतर-राज्य प्रणाली के प्रचालन के लिए ऐसे ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करेंगे जो कि आई ई जी सी के सुसंगत हों।

पृष्ठभूमि टिप्पणी

1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सी टी यू) अर्थात् पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिंग (पी जी सी आई एल) से मार्च, 1999 में के.वि.वि.आ. द्वारा जारी कतिपय निर्देशों के अनुसार भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा था। इसके प्रत्युत्तर में, पी जी सी आई एल ने तारीख 8-4-1999 को आई ई जी सी प्रारूप प्रस्तुत किया जो उन सभी हितबद्ध लोगों के लिए पी जी सी आई एल कार्यालय में उपलब्ध था जो इस पर अपनी टीका-टिप्पणियां देना चाहते हों। उपरोक्त प्रारूप पर 25-5-1999 तक टीका टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए समचार-पत्र में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई थी।
2. ऐसे सभी पक्षकारों से, जिन्होंने ने अपना प्रत्युत्तर दिया, प्राप्त टीका-टिप्पणियों तथा आक्षेपों पर जुलाई, 1999 में के.वि.वि.आ. द्वारा सुनवाई की गई थी और के.वि.वि.आ. तथा पी जी सी आई एल के बीच और विचास-विमर्श करने के पश्चात पहला आई ई जी सी जनवरी, 2000 में जारी किया गया था यह पहले 2002 में आई ई जी सी का पुनर्विलोकन था तथा के.वि.वि.आ. के तारीख 22-2-2002 के आदेश के अनुसार पहला पुनरीक्षण पी जी सी आई एल द्वारा मार्च, 2002 में जारी किया गया था।
3. तारीख 14-3-2002 के वर्तमान आई ई जी सी के कुल उपबंध विद्युत अधिनियम, 2003, जो 10-6-2003 से प्रवृत्त हुआ, के उपबंधों के अनुसार सम्मिलित करने के लिए पुनरीक्षण की अपेक्षा करते हैं। नए अधिनियम की धारा 79(1) (ज) के अधीन महत्वपूर्ण उपबंध यह है कि के.वि.वि.आ. को ग्रिड मानक को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड को विनिर्दिष्ट करना है, यह विवक्षा करता है कि नया आई ई जी सी के.वि.वि.आ. का दस्तावेज होगा न कि सीटीयू का दस्तावेज (जो केवल के.वि.वि.आ द्वारा ही अनुमोदित है)। तारीख 31-3-1999 को के.वि.वि.आ के अनुसार सी टी यू को सभी उपयोगिताओं के परामर्श से आई ई जी सी को तैयार लागू आवधिक रूप से पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षित करना था तथ उसका अनुपालन करना था। यह स्थिति सरवान् रूप से बदल गई है।
4. अधिनियम की धारा 73(घ) के अनुसार, “पारेषण लाइन के प्रचालन तथा रखरखाव के ग्रिड मानकों” को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है। जब कभी सी ई ए तथा ग्रिड मानक विनिर्दिष्ट किए जाते हैं, आई ई जी सी को संशोधित किया जाएगा।
5. वर्तमान कोई ई जी सी में “भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का प्रबंधन” नामक एक अध्याय है जो पिछले परिप्रेक्ष्य के सुसंगत था। यह निदेशक (प्रचालन) इसमें आवश्यक तथा संयोजक के साथ आई ई जी सी पुनर्विलोकन पैनल के लिए उपबंध करता है। आई ई जी सी में कोई परिवर्तन आई ई जी सी पुनर्विलोकन पैनल से सहमति तथा के.वि.वि.आ. द्वारा अनुमोदन की अपेक्षा करता है। अब ग्रिड कोड को विनिर्दिष्ट करने की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः के.वि.वि.आ. में निहित है और इसके पुनरीक्षण के लिए के.वि.वि.आ. के विनियमों के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को स्वीकार्य करते हुए इसको जारी किए जाने की होती है आई ई जी सी को पुनर्विलोकन पैनल

की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। नए प्रारूप आई ई जी सी को तैयार करने के लिए वर्तमान प्रक्रिया उसी कारण के लिए वर्तमान आई ई जी सी पुर्वविलोकन पैनल के माध्यम से नहीं अपनाई जा रही है। उपरोक्त अध्याय पुनः लिखा गया है और आई ई जी सी पुर्वविलोकन पैनल के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है।

6. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 (3)(ग) के अनुसार, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी) “क्षेत्रीय ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत की मात्रा का लेखा” रखेगा। तदनुसार, अब तक आर ई वी संचिवालय के साथ क्षेत्रीय ऊर्जा खातों वही को तैयार करने की जिम्मेदारी को 1-4-2006 से अपने-अपने आर एल डी सी को अंतरित समझा जाएगी।
7. क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड (आर ई वी) को नए अधिनियम में क्षेत्रीय-ऊर्जा समिति (आर पी सी) में बदल दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने अपने तारीख 25-5-2005 के मूल संकल्प द्वारा आर पी सी की स्थापना को अधिसूचित कर दिया है। आइ ई जी सी को तदनुसार पुनरीक्षित किया गया है।
8. विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग 12 में परिकल्पित राज्य विद्युत बोर्ड (एस ई वी) का पुर्नगठन प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र इकाइयों (उत्पादन कंपनियों, पारेषण अनुज्ञासिधारियों और वितरण अनुज्ञासिधारियों) की संख्या को बढ़ावा देगा तथा परिणामस्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अनेक अंतर-राज्य इकाइयों में भी वृद्धि होगी। इन सभी इकाइयां विनियामक अधिकारिता संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग तथा प्रचालनात्मक अधिकारिता संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के भीतर आएंगी जब कि वे उसी ए सी अंतर संयोजन अर्थात् क्षेत्रीय ग्रिड, में संयोजित किए जाएंगे तथा उनके साथ तुल्यकालिक होंगे उनका प्रचालन संबंधित एस ई आर सी द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य विद्युत ग्रिड कोड द्वारा शासित होगा। क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (क्षेत्रीय ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक निकाय) द्वारा उनको जारी निरेश भी अधिनियम की धारा 29(3) के अनुसार संबंधित एस एल डी सी के माध्यम से दिए जाते हैं।
9. उपरोक्त प्रस्ताव के तर्कसंगत विस्तार के रूप में तथा जवाबदेही को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित का प्रस्ताव किया जाता है (1) आर एल डी सी संबंधित राज्य के सभी मामालों पर और कोई अन्य अंतरा-राज्य इकाई सहित एस एल डी सी (और सी टी यू यदि आवश्यक हो) के साथ ही विचार-विमर्श तथा समन्वय करेगा (2) एस एल डी सी ई अंतर-राज्य इकाइयों के साथ सभी संबंधित समन्वय करने के लिए तथा आर एल डी सी के साथ उनकी ओर से विचार-विमर्श करने के लिए जिम्मेदार होगा। (3) प्रत्येक राज्य संपूर्ण रूप से क्षेत्रीय ग्रिड में इकाई के रूप में तथा अननुसूचित अंतर विनियम के लेखांकन के लिए, दैनिक अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के लिए अंतर-राज्यिक के उत्पादन केन्द्र (आई एस जी एस) में आबंटन/विमाजन के प्रयोजन के लिए एक इकाई के रूप में समझा जाएगा। (4) दिन के लिए आई एस जी एस उपलब्धता में राज्य की कुल हकदारी का विभाजन, अंतरा-राज्य इकाइयों को उनके अपनी-अपनी हकदारी के बारे में सलाह और आई एस जी एस से उनकी अध्येक्षा का संग्रहण राज्य की कुल अध्येक्षा में उनको संकलित करने आदि का कार्य एस एल डी सी द्वारा किया जाएगा। (5) एस टी यू/एस एल डी सी के ऐसी सभी अंतरा-राज्य इकाइयों के अंतर संयोजन स्थानों पर विशेष ऊर्जा भीटरों को लगाने की जिम्मेदारी होगी जिन्हे मीटर सीडिंग के आवधिक संग्रहण करने, अंतरा-

राज्यिक ऊर्जा खातों की तैयारी तथा सभी संबंधित इकाईयों के लिए (सप्ताह में एक बार) यू.आई विवरण तैयार करने के लिए ऐसे मीटिंगों की आवश्यकता है।

10. यह पुनरीक्षित आई ई जी सी 1-4-2006 से प्रभावी होगा।
11. राज्यों तथा (राज्य के स्वामित्वाधीन पारेषण लाईनों के बीच प्रत्यक्षतः रिएक्टिव ऊर्जा विनियम करने के लिए संदाय के बारे में पूर्व आई ई जी सी मौन था। इस पहलू को नए खंड (6.6.7) के अधीन पुनरीक्षित आई ई जी सी में सम्मिलित किया जा रहा है।
12. अंतरा-राज्यिक इकाइयों के बीच रिएक्टिव ऊर्जा विनियम की कीमत के लिए अंतरांराज्यिक स्कीम पर संबंधित एस ई आर सी/सी टी यू.द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार-विमर्श किया जाना है। और राज्य विद्युत ग्रिड कोड में सम्यक् रूप से सम्मिलित किया जाना है। स्थानीय रिएक्टिव समर्थन की अपेक्षा एक राज्य से दूसरे राज्य की अलग हो सकेगी तथा इस आई ई जी सी में प्रस्ताव भिन्न हो सकेंगे। उदाहरणार्थ, अंतरा-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों (आई एस जी एस) को “उस समय अपेक्षित सक्रिय उत्पादन का छोड़ बिना” आर एल डी सी के अनुदेशों के अनुसार रिएक्टिव ऊर्जा का उत्पादन/समामेलन करना है तथा “ऐसे वी ए आर उत्पादन/समामेलन के लिए उत्पादन कंपनियों को कोई संदाय नहीं किया जाएगा। यह इसलिए है कि (1) आई एस जी एस अधिकांशतः भार केन्द्रों से दूर अवस्थित हैं (2) उनके पास साधारण तथा निम्न विभिन्न लागत हैं और (3) संपूर्ण संस्थापन, जिसमें उनकी रिएक्टिव ऊर्जा क्षमता सम्मिलित है, की लागत को सम्मिलित करने के लिए क्षमता प्रभार संदत्त किए जाते हैं। अंतरा-राज्यिक केन्द्र की परिस्थिति इस संबंध में अलग हो सकती है तथा उनकी रिएक्टिव ऊर्जा आउटपुट के लिए विभिन्न प्रस्ताव आवश्यक हो सकेंगे।
13. जब 1999 में आई ई जी सी के प्रथम संस्करण का प्रारूपण किया गया था तब अंतरराज्यिक विनियम नाममात्र के हुआ करते थे। अनेक नए अंतरराज्यिक लिंक स्थापित कर दिए गए हैं तथा ऊर्जा की सारवान् मात्रा का क्षेत्रीय ग्रिडों के बीच आदान प्रदान किया जा रहा है। अंतर-क्षेत्रीय विनियमों का अनुसूचीकरण, नियंत्रण तथा वाणिज्यिक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करने के लिए तदनुसार आई ई जी सी में नया अध्याय जोड़ा जा रहा है।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन III/IV/150/2005-असा.]